

धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात- जनवरी, फरवरी, मार्च 2026

स्थापना आदेश,परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि

कुल - 33 [स्थापना आदेश-सं. 22, स्थापना परिपत्र -7, व्यापार सूचना -2, जन संपर्क अधिकारी परिपत्र -2]

क्रम सं	स्थापना आदेश संख्या	दिनांक	कार्रवाई	
1	आदेश सं-1/2026	06.01.2026	अनुवाद किया गया	FZ
2	आदेश सं-2/2026	06.01.2026	अनुवाद किया गया	MK
	आदेश सं-3/2026	जारी नहीं हुआ		
3	आदेश सं-4/2026	19.01.2026	अनुवाद किया गया	MK
4	आदेश सं-5/2026	14.01.2026	अनुवाद किया गया	MK
5	आदेश सं-6/2026	23.01.2026	अनुवाद किया गया	FZ
6	आदेश सं-7/2026	20.01.2026	अनुवाद किया गया	FZ
7	आदेश सं-8/2026	03.02.2026	अनुवाद किया गया	FZ
8	आदेश सं-9/2026	02.02.2026	अनुवाद किया गया	FZ
9	आदेश सं-10/2026	25.02.2026	अनुवाद किया गया	FZ
10	आदेश सं-11/2026	19.03.2026	अनुवाद किया गया	MK
11	आदेश सं-12/2026	13.02.2026	अनुवाद किया गया	MK
12	आदेश सं-13/2026	13.02.2026	अनुवाद किया गया	MK
13	आदेश सं-14/2026	19.03.2026	अनुवाद किया गया	FZ
14	आदेश सं-15/2026	02.03.2026	अनुवाद किया गया	FZ
15	आदेश सं-16/2026	24.03.2026	अनुवाद किया गया	FZ
16	आदेश सं-17/2026	24.03.2026	अनुवाद किया गया	FZ
17	आदेश सं-18/2026	26.03.2026	अनुवाद किया गया	FZ
18	आदेश सं-19/2026	25.03.2026	अनुवाद किया गया	MK
19	आदेश सं-20/2026	07.04.2026	अनुवाद किया गया	FZ
20	आदेश सं-21/2026	26.03.2026	अनुवाद किया गया	FZ
21	आदेश सं-22/2026	27.03.2026	अनुवाद किया गया	FZ
	आदेश सं-23/2026	जारी नहीं हुआ		
22	आदेश सं-24/2026	30.03.2026	अनुवाद किया गया	FZ

कुल - 11 [स्थापना परिपत्र -7, व्यापार सूचना -2, जन संपर्क अधिकारी इकाई परिपत्र -2]

क्रम सं	स्थापना परिपत्र	दिनांक	कार्रवाई	
1	स्थापना परिपत्र 1	12.01.2026	अनुवाद किया गया	MK
2	स्थापना परिपत्र 2	19.01.2026	अनुवाद किया गया	FZ
3	स्थापना परिपत्र 3	20.01.2026	अनुवाद किया गया	MK
4	स्थापना परिपत्र 4	27.01.2026	अनुवाद किया गया	MK
5	स्थापना परिपत्र 5	11.02.2026	अनुवाद किया गया	MK
6	स्थापना परिपत्र 6	17.02.2026	अनुवाद किया गया	FZ
7	स्थापना परिपत्र 7	04.03.2026	अनुवाद किया गया	FZ
8	व्यापार सूचना 1	15.01.2026	अनुवाद किया गया	FZ
9	व्यापार सूचना 2	18.02.2026	अनुवाद किया गया	FZ
10	जन संपर्क अधिकारी इकाई परिपत्र 1		अनुवाद किया गया	
11	जन संपर्क अधिकारी इकाई परिपत्र 2		अनुवाद किया गया	



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018
E-mail:- cexcochi@nic.in Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/15/2025-ESTT.

दिनांक : 06.01.2026

आदेश सं.01/2026

विषय : कोच्चि आयुक्तालय के केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क निरीक्षक केडर में स्थानांतरण एवं तैनाती

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क निरीक्षक केडर में निम्न स्थानांतरण एवं तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।

क्र सं	अधिकारी का नाम (श्री)	जन्मतिथि	कहां से	कहां को
1.	रॉबिन गोयल	20.06.1985	कोच्चि आयुक्तालय में स्थानांतरण आदेशाधीन	काक्कनाड मण्डल

- अधिकारी को तुरंत अपने वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त किया जाना है।
- तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले अधिकारी से कोई भी अभयवादन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- यह आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी है।

ह/-

[डॉ.फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त (का व स)

अनु. प्र. मा. 01/26

टोर्जो डेविज / Tojo Davis
अधीक्षक / Superintendent
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि-18
Central Tax & Central Excise, Kochi-18

सेवा में ,

संबंधित अधिकारी (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति समर्पित :

1. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

प्रति :

1. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, काक्कनाड मण्डल
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ भुगतान व लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि
3. सहायक निदेशक (राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), अधीक्षक (गोपनीय/ सतर्कता) मुख्यालय, कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि (वेबसाइट में अपलोड करने के लिए)



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-Estt

दिनांक : 06.01.2026

आदेश सं .2/2026

विषय : केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क,कोच्चि आयुक्तालय के आशुलिपिक
ग्रेड-II के केडर में स्थानांतरण व तैनाती संबंधी

आशुलिपिक ग्रेड-II के पद पर निम्न स्थानांतरण एवं तैनाती का एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव
से आदेश दिया जाता है :

क्र सं	नाम (श्री/श्रीमाती)	जन्म तिथि	तैनाती	
			कहां से	कहां को
1.	शिखा मलहोत्रा	25.11.1991	कोच्चि आयुक्तालय को स्थानांतरण आदेशाधीन	आयुक्त का यूनिट मुख्यालय कोच्चि
2.	ऋतिक कुमार	16.04.2002	संयुक्त आयुक्त (लेखापरीक्षा/ विधि) के यूनिट का अतिरिक्त कार्यभार सहित आयुक्त का यूनिट मुख्यालय कोच्चि	संयुक्त आयुक्त (लेखापरीक्षा/विधि) का यूनिट मुख्यालय कोच्चि

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

माया कुरियन

[माया कुरियन]
उप आयुक्त [का व स]

सेवा में

संबंधित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति समर्पित :

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि
2. संयुक्त आयुक्त (लेखापरीक्षा/ विधि), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ भुगतान व लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि
2. सहायक निदेशक (राजभाषा) , केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि .
3. अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता), , केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/39/38/2020-Estt

दिनांक : 19.01.2026

आदेश सं .4/2026

विषय : श्री जगदीश पिल्लई, निजी सचिव के संबंध में सेवा से स्वैच्छिक निवृत्ति -संबंधी

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 48 के उप नियम (1) के तहत खंड (क) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि, श्री जगदीश पिल्लई, निजी सचिव, सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचीन को, उनके अभ्यावेदन के अनुसरण में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू सभी प्रासंगिक शर्तों के अधीन, दिनांक 01.02.2026 से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं

2. श्री जगदीश पिल्लई, निजी सचिव, के संबंध में यदि कोई बकाया राशि लंबित है, तो उसे नियमों के अनुसार उनके सेवानिवृत्ति लाभों से वसूल किया जा सकता है।

(माया कुरियन)

उप आयुक्त (का व स)

सेवा में ,

श्री जगदीश पिल्लई, निजी सचिव, सीपीडी, तिरुवनंतपुरम

प्रति समर्पित :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि .
3. आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक), कोच्चि.

प्रति :

1. उप आयुक्त (का व स), सीसीपी मुख्यालय, कोच्चि (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर कार्यमुक्त होते समय प्र.अ(डीडीओ)/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहकारी समिति से बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाए)
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ भुगतान व लेखा अधिकारी, सीसीपी मुख्यालय, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ)/ अधीक्षक (सतर्कता), सीसीपी मुख्यालय, कोच्चि
4. सहायक निदेशक(राजभाषा) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, मुख्यालय, कोच्चि
5. अधीक्षक (सतर्कता), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, मुख्यालय, कोच्चि
6. अधीक्षक (सिस्टम्स),), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, मुख्यालय, कोच्चि-वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु .

**भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018**

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

जेक्सकॉम/II/(3)/17/2025-स्था

दिनांक: 14.01.2026

आदेश संख्या .5/2026

विषय : केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के हवालदार/ हेड हवालदार के केडर में स्थानांतरण व तैनाती - संबंधित

हवालदार / हेड हवालदार के केडर में निम्न स्थानांतरण व तैनाती का आदेश एतद्वारा तत्काल प्रभाव से दिया जाता है :

क्र. सं	नाम (श्री/ श्रीमती)	जन्मतिथि	स्थानांतरित	
			कहां से	कहां को
1.	मोहनन ई.वी हेड हवालदार	31-05-68	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर)सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कालीकट आयुक्तालय
2.	हर्षन पी. आर हेड हवालदार	12-02-69	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर)सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
3.	श्रीराज पी हेड हवालदार	20-03-68	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर)सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कालीकट आयुक्तालय
4.	अनिलकुमार एम. जी हेड हवालदार	20-05-66	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर)सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

5.	चंद्रन पी.एस हेड हवलदार	20-05-70	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर)सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
6.	जोणसण पी. जे हेड हवलदार	24-05-66	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर)सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
7.	रवींद्रन एम. अल हेड हवलदार	08-04-71	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर)सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
8.	उण्णीकृष्णन एम. टी हेड हवलदार	22-04-66	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर)सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
9.	श्रीकुमार एम.के हेड हवलदार	15-05-68	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर)सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कालीकट आयुक्तालय
10.	वीणा एम. जे हवलदार	20.09.96	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर) सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय
11.	बैजु एस, हेड हवलदार	23-05-68	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, तिरुवनंतपुरम) सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
12.	के. आनंदा हेड हवलदार	21-12-68	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, कण्णूर) सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कालीकट आयुक्तालय
13.	शशि पी. एम हेड हवलदार	30-05-68	एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, कण्णूर) सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कालीकट आयुक्तालय
14.	प्रशांत पी. आर हवलदार	25.05.72	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर)सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि

15.	बैजु एम. पी हवलदार	30.05.71	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर)सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
16.	मुहम्मद शेरीफ़ एम. एच हवलदार	18.04.71	सीमाशुल्क(निवारक), आयुक्तालय , कोच्चि	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर)सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
17.	मनोज पी हवलदार	20.12.68	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर)सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
18.	सेलवन के हेड हवलदार	02-05-67	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर)सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
19.	दिलीपन पी हेड हवलदार	10-05-69	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कालीकट आयुक्तालय	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर) सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
20.	हैदर हाशिम वी. पी हेड हवलदार	11-03-71	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कालीकट आयुक्तालय	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर) सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
21.	सुरेश बाबू पी हेड हवलदार	03-05-69	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कालीकट आयुक्तालय	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर) सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
22.	कमरुदीन पी हवलदार	05-10-70	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कालीकट आयुक्तालय	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर) सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
23.	अभिजित के प्रसाद हवलदार	02.04.99	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कालीकट आयुक्तालय	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, करिपूर) सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
24.	अनसारी के. एम हवलदार	25.05.71	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, तिरुवनंतपुरम) सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि

25.	ए.वी.अनिलकुमार हवलदार	31.05.83	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय	(एयरपोर्ट/ यूबी/ आ व नि, कण्णूर) सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
26.	अभिषेक तिवारी हवलदार	07.09.97	केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कालीकट आयुक्तालय	(एयरपोर्ट/आ व नि, कण्णूर) सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि

- एयर कस्टम्स यूनिट्स में पोस्टिंग, अधिकारियों के मौजूदा सतर्कता अनापत्ति पर निर्भर है। अधिकारियों को उनकी संबंधित यूनिट्स [यानी, एयरपोर्ट] के लिए कार्यमुक्त करने से पहले, सक्षम अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगी कि अधिकारी इस उद्देश्य के लिए सतर्कता की दृष्टी से स्पष्ट हैं। एयरपोर्ट पर तैनात अधिकारियों की तैनाती 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए होगी; हालाँकि, विभाग के पास प्रशासनिक ज़रूरतों के आधार पर उन्हें पहले ही स्थानांतरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
- पर्यवेक्षक अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिकारियों को उनके पिछले पद से तभी कार्यमुक्त किया जाए, जब उचित कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण नोट्स का आपस में आदान-प्रदान हो जाए, ताकि काम का हस्तांतरण सुचारू रूप से हो सके। अधिकारियों को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से 23.01.2026 तक कार्यमुक्त किया जाना है, और उन्हें अपने तैनाती के नए स्थान पर 30.01.2026 तक (अधिकतम) कार्यग्रहण करना है। यदि अधिकारी निर्धारित समय के भीतर कार्यमुक्त नहीं होते हैं, तो इसके लिए पर्यवेक्षक अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।
- अधिकारी के नए तैनाती स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले, उनकी ओर से प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निपटारा कर दिया गया है।
- यह आदेश मुख्य आयुक्त केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया गया है।
- नियंत्रक अधिकारी 06.02.2026 तक इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

माया कुरियन

[माया कुरियन]

उप आयुक्त (का व स)

प्रति :

संबंधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति समर्पित :

- मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क तिरुवनंतपुरम
- आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कालीकट
- आयुक्त, सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि

प्रति :

1. सभी उप/ सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कालीकट/ सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
2. सहायक निदेशक (राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि
3. मु.ले.अ/ भु.ले.अ/प्रअ (आ.सं.अ) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कालीकट/सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तलय, कोच्चि
4. अधीक्षक(सतर्कता/ मुख्यालय), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कालीकट/ सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
5. अधीक्षक(सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

जेक्सकॉम II/(3)/27/2024-स्था .

दिनांक: 23.01.2026

आदेश सं.06/2026

विषय : केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षकों एवं निरीक्षकों के केडर में स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीक्षकों एवं निरीक्षकों के केडर में निम्न स्थानांतरण एवं तैनाती का एतद्वारा तत्काल प्रभाव से आदेश दिया जाता है :

क्र. सं	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (श्री)	जन्मतिथि	कहां से	कहां को
1.	अरविन्द गुलिया अधीक्षक	24.10.1986	लॉन अवधि की समाप्ति पर कार्यग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क आयुक्तालय कोच्चि
2	मोबिन बाबू निरीक्षक	05.10.1988	प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति पर कार्यग्रहण करने पर	सीमाशुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि
3.	राहुल शंकर निरीक्षक	20.03.1995	डीआरआइ क्षेत्रीय इकाई कोच्चि से कार्यमुक्त होने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम

2. अधिकारियों को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाना है।
3. यह सुनिश्चित किया जाए कि नए आयुक्तालयों में स्थानांतरित अधिकारियों की आइपीआर/सूचना संबंधी फ़ाइलों को अद्यतित करके संबंधित आयुक्तालयों को भेजी जाए।

4. किसी भी अधिकारी से अपनी नई नियुक्ति के स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. यह मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी है।
6. नियंत्रण अधिकारी 28.01.2026 तक अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

॥ अनुमोदित ॥

टोर्जो डेविस / Tojo Davis
अधीक्षक / Superintendent
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि-18
सेवा क्षेत्र Central Excise, Kochi-18

६/-
[डॉ.फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त

संबंधित व्यक्ति (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के द्वारा)

प्रति समर्पित :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क , तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि एवं तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय
3. आयुक्त, सीमाशुल्क निवारक , कोच्चि

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / भुगतान व लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, मुख्यालय, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ सीमाशुल्क निवारक, कोच्चि
2. सहायक निदेशक (रा. भा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, मुख्यालय, कोच्चि.
3. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ) , अधीक्षक (गोपनीय/ सतर्कता), कोच्चि / तिरुवनंतपुरम / सीमाशुल्क निवारक
4. अधीक्षक(सिस्टम्स)- वेबआइट में अपलोड करने के लिए



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/31/2020-Estt.

दिनांक: 20.01.2026

आदेश सं.: 7/2026

विषय : सहायक उप के पद पर पदोन्नति (हथियार) निरीक्षक-- संबंधी

निम्नलिखित हेड हवलदार को सहायक उप-निरीक्षक (हथियार), वर्ग 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय, लेवल-3 (₹21,700-69,100) तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भर्तों सहित, पदोन्नत किया जाता है। यह पदोन्नति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

क्र. सं.	नाम (श्री)	जन्मतिथि	वर्तमान आयुक्तालय
1.	प्रसन्नकुमार ए	28.4.1966	तिरुवनंतपुरम आयुक्तालय

2. अधिकारी को दिनांक 01.02.2026 को या उसके बाद 13.02.2026 तक अनिवार्य रूप से पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। यदि अस्वीकार करना चाहता है तो वह तत्काल लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाए। अधिकारी को वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 तथा 27.07.2017 के अनुसार, पदभार ग्रहण करने की तिथि से एक माह के भीतर करना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

3. नियंत्रक अधिकारी/ संबंधित अधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण करने अथवा न करने की अनुपालन रिपोर्ट 18.02.2026 तक इस कार्यालय को भेजी जाए।

॥ अनुप्रमाणित ॥

जो जो डेविस / Tojo Davis
अधीक्षक / Superintendent
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि-18
Central Tax & Central Excise, Kochi-18

ह/-
(फारा ज़खरिया)
संयुक्त आयुक्त (का व स)

सेवा में

संबंधित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति समर्पित :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि/ कालीकट/ तिरुवनंतपुरम
3. सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्त, कोच्चि 4
4. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, लेखापरीक्षा कोच्चि
5. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, अपीलस कोच्चि

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ भुगतान व लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. अधीक्षक(सतर्कता) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि-वेबसाइट में अपलोड करने के लिए
4. राजभाषा अनुभाग
5. सचिव, अखिल केरल केन्द्रीय उत्पादशुल्क ग्रुप सी अधिकारी संघ, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/24/2022-ESTT

दिनांक: 03.02.2026

आदेश संख्या:08/2026

विषय: अधीक्षक को गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करने के संबंध में।

निम्नलिखित अधीक्षकों को, अधीक्षक के पद पर नियुक्ति की तिथि से 4 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रेड-पे ₹5400/- (वेतन मैट्रिक्स के लेवल 9) में गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया गया है:

क्रम संख्या	नाम (श्री/श्रीमती)	पदोन्नति पर अधीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	एनएफयू प्रदान करने की तिथि
1	कुरियन मैथ्यू	01.03.2021(अपराहन)	02.03.2025
2	अखिल टी. के.	22.10.2021	22.10.2025

उक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग, डीओपी&टी के कार्यालय जापन दिनांक 26.09.1981, 09.11.1987 तथा 28.11.2019 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार, इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर निर्धारित प्रारूप में करना होगा।

॥ अनुप्रमाणित ॥

टो जो डेविस / Tojo Davis
अधीक्षक / Superintendent
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि-18
Central Tax & Central Excise, Kochi-18

ह/-

[डॉ. फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त (का व स)

सेवा में

संबंधित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति :

1. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, काक्कनाड मण्डल
2. सहायक आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, एरणाकुलम मण्डल
3. भुगतान व लेखा, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, मुख्यालय कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, मुख्यालय कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, मुख्यालय कोच्चि-वेबसाइट अपलोड करने के लिए



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

जेक्सकॉम/II/(3)/27/2024-स्था.

दिनांक : 02.02.2026

आदेश सं.09/2026

विषय : कोच्चि आयुक्तालय के केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधीक्षक के केडर में स्थानांतरण एवं तैनाती - संबंधित

कोच्चि आयुक्तालय के केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधीक्षक के केडर में निम्न स्थानांतरण एवं तैनाती का तत्काल प्रभाव से आदेश दिया जाता है :

क्र. स	अधिकारी का नाम (श्री)	जन्मतिथि	कहां से	कहां को
1.	अरविन्द गुलिया	24.10.1986	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्थानांतरण आदेशाधीन	काक्कनाड मण्डल

- अधिकारी को अपने वर्तमान तैनाती स्थान से तत्काल कार्यमुक्त किया जाना है।
- तैनाती के नए स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले उनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- यह आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क आयुक्त, कोच्चि के अनुमोदन से जारी है।

॥ अनुमोदित ॥
[Signature]

तोडो डेविस / Tojo Davis
अधीक्षक / Superintendent
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि-18
Central Tax & Central Excise Kochi-18

ह/-

[डॉ. फारा ज़खरिया]

संयुक्त आयुक्त (का व स)

सेवा में

संबंधित अधिकारी (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति समर्पित :

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

प्रति :

1. सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, काक्कनाड मण्डल
2. मुख्य लेखा अधिकारी/ भुगतान एवं लेखा अधिकारी , केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, मुख्यालय, कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा.भा), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, मुख्यालय, कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी(डीडीओ), अधीक्षक(गोपनीय/सतर्कता), मुख्यालय, कोच्चि
5. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, मुख्यालय, कोच्चि - वेबसाइट में अपलोड करने हेतु



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/24/2022-ESIT

दिनांक : 25.02.2026

आदेश संख्या : 10/2026

विषय: श्री प्रकाश के.पी., अधीक्षक (सेवानिवृत्त) को गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करने के संबंध में।

श्री प्रकाश के. पी. (जन्म तिथि – 11.11.1962), अधीक्षक, जो 30.11.2022 को सेवानिवृत्त हुए, ने 23.09.1988 को निरीक्षक के पद पर विभाग में कार्यभार ग्रहण किया था। उन्हें कोचीन आयुक्त के आदेश संख्या 58/2000 दिनांक 10.04.2000 के माध्यम से 23.09.2000 से वेतनमान 7500-250-12000/- में प्रथम वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया था। अधिकारी को 23.09.2008 से ₹5400/- के ग्रेड पे में गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया गया था।

2. चूँकि अधिकारी ने दिनांक 01.01.2006 को ₹7500-250-12000/- (संशोधन पूर्व)/- (पीबी-2 – ₹4800/-) के ग्रेड-पे में 4 वर्ष पूर्ण कर लिए थे, अतः वह भारत सरकार के प्रचलित निर्देशों तथा माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, एर्नाकुलम बेंच के आदेशों के अनुपालन में ₹5400/- के ग्रेड-पे (वेतन मैट्रिक्स के लेवल-9) में गैर-कार्यात्मक उन्नयन के लिए पात्र थे।

3 अधिकारी का वेतन ग्रेड-पे ₹5400/- (लेवल-9) में दिनांक 01.01.2006 से पुनः निर्धारित किया जाएगा। वास्तविक मौद्रिक लाभ, यदि कोई हो, नियमों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे।

4 उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, तृतीय एमएसीपी तथा पेंशन संबंधी लाभ संबंधित नियमों एवं निर्देशों के अनुसार संशोधित किए जाएंगे।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt

दिनांक: 19.03.2026

आदेश संख्या .11/2026

विषय : कार्यकारी सहायक के केडर में स्थानांतरण व तैनाती-केन्द्रीय कर व केन्द्रीय उत्पादशुल्क तिरुवनंतपुरम क्षेत्र - संबंधी

कार्यकारी सहायक के केडर में निम्न स्थानांतरण व तैनाती का आदेश तत्काल प्रभाव से दिया जाता है :

क्र सं	नाम (श्री)	जन्मतिथि	स्थानांतरण	
			कहां से	कहां को
1.	लवसिंह	10.09.1984	सीजीएसटी, केन्द्रीय उतादाशुल्क एवं सीमाशुल्क, भोपाल क्षेत्र से प्रत्यावर्तन पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि आयुक्तालय

2. अधिकारी से अपनी नई नियुक्ति के स्थान पर कार्यग्रहण करने से पहले कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी है।

माया कुरियन

[माया कुरियन]

उप आयुक्त [का व स]

सेवा में

संबंधित व्यक्ति

प्रति समर्पित:

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ भुगतान व लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि
2. सहायक आयुक्त (रा.भा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि
3. अधीक्षक (सिस्टम्स व सतर्कता), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/16/2025-Estt

दिनांक : 13.02.2026

आदेश संख्या 12/2026

विषय: कर सहायक के केडर में स्थानांतरण व तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि आयुक्तालय - संबंध में।

कर सहायक के केडर में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का तत्काल प्रभाव से एतद्वारा आदेश दिया जाता है :

क्रम सं	नाम (श्री)	जन्म तिथि	तैनाती स्थान	
			कहां से	कहां को
1.	रविप्रसाद पी. वी	28.02.1971	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आ.अ	एरणाकुलम मंडल

- अधिकारी के नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

साया कुरियन

[माया कुरियन]

उप आयुक्त [का व स]

प्रति

संबंधित अधिकारी।

प्रतिलिपि समर्पित :

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि।
2. आयुक्त, सीमाशुल्क (निवारक), कोच्चि।

प्रतिलिपि:

1. सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क एरणाकुलम मंडल, कोच्चि
2. सीएओ/पीएओ/एओ (डीडीओ), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि।
3. सहायक निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि।
4. अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-Estt

दिनांक : 13.02.2026

आदेश संख्या 13 /2026

विषय: हेड हवलदार / हवलदार के केडर में स्थानांतरण व तैनाती - केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि आयुक्तालय - संबंध में।

हेड हवलदार / हवलदार के केडर में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का तत्काल प्रभाव से एतद्वारा आदेश दिया जाता है :

क्रम सं	नाम (श्री/ श्रीमती)	जन्म तिथि	तैनाती स्थान	
			कहां से	कहां को
1.	वीणा एम. जे	20.09.1996	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आ.अ	मुख्यालय कोच्चि
2.	अनिलकुमार एम.जी	20.05.1966	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आ.अ	एरणाकुलम मंडल
3.	रवींद्रन एम.एल	08.04.1971	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आ.अ	एरणाकुलम मंडल

4.	हर्षन पी. आर	12.02.1969	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आ.अ	आलुवा मंडल
5.	Chandran P S	20.05.1970	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आ.अ	तृशूर मंडल

2. अधिकारियों के नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

माया कुरियन

[माया कुरियन]

उप आयुक्त [का व स]

प्रति

संबंधित अधिकारी।

प्रतिलिपि समर्पित :

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि।

प्रतिलिपि:

1. उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क ,एरणाकुलम/आलुवा/ तृशूर मंडल
2. सीएओ/पीएओ/एओ (डीडीओ), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि।
3. सहायक निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि।
4. अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/15/2025-ESTT

दिनांक: 19.03.2026

आदेश सं. 14/2026

विषय: केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग में स्थानांतरण एवं तैनाती
– तिरुवनंतपुरम क्षेत्र – संबंध में।

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षक संवर्ग, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का तत्काल प्रभाव से एतद्वारा आदेश दिया जाता है :

क्र सं	अधिकारी का नाम (श्री)	जन्मतिथि	कहां से	कहां को
1.	दिनेश मिर्धा	07.07.1992	प्रतिनियुक्ति से प्रत्यावर्तन पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क लेखापरीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि
2.	गौरव जैमिनी	02.07.1989	ग्रहणाधिकार अवधि के भीतर पुनः कार्यभार ग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क आयुक्तालय, कलिकट
3.	राहुल वाट्स	04.09.1991	ऋण अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने पर	केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क आयुक्तालय, कोच्चि

- अधिकारियों को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान से तत्काल कार्यमुक्त किया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि नए आयुक्तालयों में स्थानांतरित अधिकारियों की

आई.पी.आर./सूचना फाइलें अद्यतन कर संबंधित आयुक्तालयों को अग्रेषित की जाएँ।

4. किसी भी अधिकारी द्वारा नए पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. यह आदेश मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
6. नियंत्रक अधिकारियों को 27.03.2026 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना है।

॥ अनुपमार्गित ॥
4

सेवा में जगदीश उदस / Tojo Davis
अधीक्षक / Superintendent
केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि-18
Central Tax & Excise, Kochi-18

1 संबंधित अधिकारी (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति समर्पित :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि, कालिकट/ लेखापरीक्षा आयुक्तालय

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / भुगतान व लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि/ कालिकट/ लेखापरीक्षा
2. सहायक निदेशक (रा. भा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), अधीक्षक (गोपनीय/ सतर्कता) कोच्चि/कालिकट/ लेखापरीक्षा
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) – वेबसाइट में अपलोड करने के लिए

ह/-

[डॉ. फारा ज़खरिया]

संयुक्त आयुक्त (का व स)



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

दिनांक : 02.03.2026

आदेश सं. 15/2026

विषय : तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधीक्षक के केडर में पदोन्नति के संबंध में

श्री अमित खत्री (जन्म तिथि - 19.09.1986), निरीक्षक, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क को, दिनांक 01.03.2026 को या उसके बाद, नियमित आधार पर केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, वर्ग 'ख' पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 तथा समय-समय पर लागू भत्तों सहित, उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तथा आगामी आदेशों तक पदोन्नत किया जाता है।

2. निरीक्षकों को अधीक्षक ग्रेड में पदोन्नति, विभाग द्वारा, ओ.पी. (कैट) सं. 4305/2011, ओ.पी. (कैट) सं. 999/2012, ओ.पी. (कैट) सं. 998/2012, ओ.पी. (कैट) सं. 968/2012, के ओ.ए. सं. 523/2023, 527/2023, 543/2023 एवं 344/2024 कैट (एर्नाकुलम पीठ) के उच्च न्यायालय के दिनांक 28.03.2012 के आदेश के विरुद्ध, दायर एस.एल.पी. सं. 20810/2012, तथा हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में एस.एल.पी. (सी) सं. 16161/2018 से उत्पन्न सिविल अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहद पीठ के समक्ष लंबित निर्णय तथा संबंधित न्यायालयों/अधिकरणों में लंबित अन्य मामलों के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

3. अधिकारी को अधीक्षक के पद पर अस्थायी (ऑफिसिएटिंग) आधार पर पदोन्नत किया जाता है, जब तक कि उसके कनिष्ठ अधिकारियों को अधीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता। इसके पश्चात नवपदोन्नत अधिकारी को अस्थायी (ऑफिसिएटिंग) आधार पर माना जाएगा। अगले तक, अनारक्षित श्रेणी के वरिष्ठता क्रम में सबसे कनिष्ठ कुल छह अधिकारी सदैव अस्थायी (ऑफिसिएटिंग) आधार पर रहेंगे।

4. अधिकारी तत्काल कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में 10.03.2026 के बाद नहीं।
5. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/कार्यभार ग्रहण न करने संबंधी अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को 13.03.2026 तक भेजा जाए।
6. यह आदेश आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

॥ अनुसूचित ॥
(H)

ह/-

[डॉ. फारा ज़खरिया]

संयुक्त आयुक्त (का व स)

सेवा में / Tojo Davis
अधीक्षक / Superintendent
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि-18
Central Tax & Excise, Kochi-18

संबंधित अधिकारी (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति समर्पित:

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि

प्रति:

1. अपर निदेशक (प्रशासन), डीजीजीएसटीआइ, वेस्ट ब्लॉक-VIII, विंग नं. 6, दूसरा तल, आर. के. पुरम, नई दिल्ली- 110066
2. मुख्य लेखा अधिकारी / भुगतान व लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि/ कालिकट आयुक्तालय
3. सहायक निदेशक (रा. भा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), अधीक्षक (गोपनीय/ सतर्कता) कोच्चि आयुक्तालय
4. अधीक्षक(सिस्टम्स)-वेबसाइट में अपलोड करने के लिए



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/1/2020-Estt

दिनांक: 24.03.2026

आदेश सं .16/2026

विषय : कर सहायक की श्रेणी में पुष्टीकरण -के संबंध में

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 तथा 28020/1/2010-Estt.(C) दिनांक 21.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित कर सहायकों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथियों से उनके पद पर पुष्टि किया जाता है।

क्र सं	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/ कु.)	जन्मतिथि	पुष्टीकरण की तिथि
1	जूली मीना	01.01.1994	05.03.2025
2	नीरजा एस नायर	23.04.1999	13.06.2025
3	वैष्णवी के	09.04.1999	26.09.2025
4	द्रुपद नायर	21.05.1997	27.10.2025
5	अभिनव कुमार	07.03.1995	07.12.2025
6	रिंकेश कुमार बीलवाल	19.12.1997	30.10.2025
7	अश्वनी कुमार	15.01.1997	05.12.2025

2. संबंधित व्यक्तियों के सेवा पंजी में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं।

॥ अनुपस्थिति ॥

टोयो डेविस / Tojo Davis
अधीक्षक / Superintendent
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि-18
Central Tax & Central Excise, Kochi-18

ह/-

(फारा ज़खरिया)

संयुक्त आयुक्त (का व स)

सेवा में

संबंधित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति समर्पित :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कालीकट/लेखापरीक्षा/ अपीलस

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ भुगतान व लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तिरुवनंतपुरम
2. अधीक्षक(सतर्कता/सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि
3. सहायक निदेशक (राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/2/2020-Estt

दिनांक : 24.03.2026

आदेश सं .17/2026

विषय : आशुलिपिक ग्रेड-II की श्रेणी में पुष्टीकरण -के संबंध में

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय जापन संख्या (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) 28020/3/2018-Estt.(C) दिनांक 11.03.2019 तथा 28020/1/2010-Estt.(C) दिनांक 21.07.2014 में निहित निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के निम्नलिखित आशुलिपिक ग्रेड-II को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथियों से उनके पद पर पुष्टि किया जाता है।

क्र सं	अधिकारी का नाम (श्री/कु.)	जन्मतिथि	पुष्टीकरण की तिथि
1	ऐश्वर्या नायर	03.01.1998	01.12.2025
2	अनन्दु आर.एस	09.07.1998	01.12.2025

2. संबंधित व्यक्तियों के सेवा पंजी में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएं।

ह /-

(फारा ज़खरिया)

संयुक्त आयुक्त (का व स)


सेवा में टोल्डो डेविस / Tojo Davis
संबंधित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)
Central Tax & Central Excise, Kochi-18

प्रति समर्पित :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी/ भुगतान व लेखा अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, मुख्यालय कोच्चि
2. अधीक्षक(सतर्कता/सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, मुख्यालय कोच्चि
3. सहायक निदेशक (राजभाषा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, मुख्यालय कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/24/2022-ESTT

दिनांक: 26.03.2026

आदेश सं :18/2026

विषय :- अधीक्षक को गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान करना – के संबंध

ओए संख्या 180/862/2018 में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, एर्नाकुलम बेंच द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.02.2019 तथा सीबीआईसी के पत्र सं. F.No. A-23011/11/2019-Ad.IIA दिनांक 23.05.2019 के अनुपालन में, तथा एमए संख्या 180/00538/2022 (ओए संख्या 180/862/2018 में) में माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, एर्नाकुलम बेंच द्वारा जारी दिनांक 08.09.2023 के आदेश एवं सीबीआईसी के पत्र सं. F.No. A-23011/44/2020-Ad.IIA-Part(2) दिनांक 29.02.2024 तथा अपर आयुक्त (का व स), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र द्वारा फाइल सं. GEXCOM/II/(39)/42/2020-Estt में जारी परिपत्र दिनांक 11.04.2024 के अनुपालन में, निम्नलिखित अधीक्षक को ग्रेड-पे ₹4800/- में एमएसीपी प्रदान किए जाने की तिथि से 4 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रेड-पे ₹5400/- (वेतन मैट्रिक्स के लेवल-9) में गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया जाता है।

क्र.सं	नाम (श्री/श्रीमती)	अधीक्षक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि	एमएसीपी प्रदान करने की तिथि	1 st /2 nd /3 rd एमएसीपी	जिस तारीख से एनएफयु प्रदान किया गया है
1	दीपेश जी	22.10.2021	19.11.2020	1 st	19.11.2024

इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित अधीक्षक को अधीक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष पूर्ण होने पर ग्रेड-पे ₹5400/- के (वेतन मैट्रिक्स के लेवल-9) में गैर-कार्यात्मक उन्नयन प्रदान किया गया है।

क्र. सं	नाम (श्री/श्रीमती)	पदोन्नति पर अधीक्षक के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि	एनएफयु प्रदान करने की तिथि
1	पी. के. श्रीजी	20.12.2020	20.12.2024

अधिकारियों को वेतन निर्धारण हेतु विकल्प का प्रयोग, डीओपी&टी के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.09.1981, 09.11.1987 तथा 28.11.2019 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार, इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह भीतर निर्धारित प्रारूप में करना होगा।

अनुप्रमाणित ॥
[Signature]

ह/-

[डॉ. फारा ज़खरिया]

संयुक्त आयुक्त (का व स)

तो जो डेविस / Tojo Davis
सेवा में Superintendent
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि-18
Central Tax & Central Excise, Kochi-18

संबंधित अधिकारी (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति :

1. मु.ले.अ केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय कोच्चि
2. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय कोच्चि
3. सीमाशुल्क सहायक आयुक्त (स्थापना), कास्टम्स हाउस, विलिंग्टन आइलैंड,कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स)-वेबसाइट में अपलोड करने के लिए



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt

दिनांक: 25.03.2026

आदेश संख्या 19/2026

विषय: कार्यकारी सहायक के केडर में स्थानांतरण व तैनाती - केन्द्रीय कर
एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि आयुक्तालय - संबंध में।

कार्यकारी सहायक के केडर में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती का तत्काल प्रभाव से एतद्वारा आदेश दिया जाता है :

क्रम सं	नाम (श्री)	जन्म तिथि	तैनाती स्थान	
			कहां से	कहां को
1.	लव सिंह	10.09.1984	केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय को स्था.आ.अ	लेखा (वेतन बिल) अनुभाग, मुख्यालय, कोच्चि

- अधिकारी के नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

माया कुरियन

[माया कुरियन]

उप आयुक्त [का व स]

प्रति

संबंधित अधिकारी।

प्रतिलिपि समर्पित :

1. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि।

प्रतिलिपि:

1. सीएओ/पीएओ/एओ (डीडीओ), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि।
2. सहायक निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि।
3. अधीक्षक (सिस्टम्स/सतर्कता), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/2/2021-E

दिनांक : 07.04.2026

आदेश सं.20/2026

विषय : हवलदार के केडर में पुष्टीकरण - के संबंध में

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 11.03.2019 के का. जा संख्या 28020/3/2018-स्था (सी) और दिनांक 21.07.2014 के का .जा संख्या 28020/1/2010- स्था (सी) में दिए गए निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय कर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम ज़ोन के निम्नलिखित हवलदारों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से इस ग्रेड में पुष्टी की जाती है :

क्र. सं	अधिकारी का नाम (श्री / श्रीमती/ कु.)	जन्म तिथि	पुष्टीकरण की तिथि
1	अजीता वी. पी	06-05-1969	02-06-2025
2	मुरली के	05-05-1966	02-06-2025
3	वसन्ता करुवलम	24-04-1966	05-06-2025
4	श्यामलता के. वी	15-03-1970	05-06-2025
5	सनोज	23-06-1997	27-07-2025
6	राम कृष्णा मेकला	14-05-1998	21-11-2025
7	बॉबिन पवित्रन	29-04-1998	31-07-2025
8	वीणा एम जे	20-09-1996	03-11-2025

9	अखिला विजायां	19-12-1996	26-07-2025
10	जोशुअ सुनिल ऊमेन	09-09-2000	01-08-2025
11	एबीन साबु	16-11-1998	01-08-2025
12	अजय अलेक्स	02-11-1998	01-08-2025
13	तरापरम्बिल विजयराजन अल्केश राज	15-02-2000	01-08-2025
14	सौरव टी. पी	28-03-1998	01-08-2025
15	पवित्रन ए. के *	01-01-1966	25-09-2025
16	राधामणी टी. आर	07-05-1972	25-09-2025
17	गीता एन. एम	26-05-1968	25-09-2025
18	बीवि कुंजु के.एच	18-05-1971	25-09-2025
19	लता के. के	28-03-1968	25-09-2025
20	प्रशांत पी. आर	25-05-1972	25-09-2025
21	तदेवस के. वी	01-02-1968	25-09-2025
22	सेलवराज बी. एम	30-05-1968	25-09-2025
23	पार्वती ए	10-07-1966	25-09-2025
24	कुमारी पी. सी	16-08-1966	25-09-2025
25	मोली वी. के	20-05-1967	25-09-2025
26	बैजु एम. पी	30-05-1971	25-09-2025
27	सयान के. एम	21-04-1966	25-09-2025
28	प्रभा एन. पी	15-03-1968	01-11-2025
29	राजू टी. के	01-03-1967	03-11-2025
30	कारत्यानी सी	10-04-1967	03-11-2025
31	सुंधरन एम.	10-03-1967	02-11-2025
32	शंकरन कुट्टी के	15-04-1968	02-11-2025
33	रुगमिणी सी	15-05-1967	02-11-2025
34	मुहमद शेरीफ़ एम. एच	18-04-1971	01-11-2025
35	मनोज पी	20-12-1968	02-11-2025
36	अनसारी के. एम	25-05-1971	02-11-2025
37	रमा एल	11-05-1967	02-11-2025
38	गिरीश कुमार एस	15-05-1969	02-11-2025
39	जयकुमार के	12-05-1969	01-11-2025 (अपराह)

40	अंबिली राज बी	30-05-1973	02-11-2025
41	सजि कुमार जी	30-05-1971	02-11-2025
42	डेन देव अंबाइन	20-12-1987	29-12-2025
43	रेशमा सी. बी	16-04-1988	23-01-2026
44	सजिता सी. एस	21-12-1988	24-01-2026
45	जिषणु के	04-05-1998	23-01-2026
46	विनीता टी. वी	01-03-1979	24-01-2026
47	संतोष एस .	25-05-1984	24-01-2026

* 31.01.2025 को सेवा निवृत्त हुए

2. संबंधित अधिकारियों की सेवापंजी में आवश्यक प्रविष्टियां की जाए .

॥ अनुसूचित ॥

ह / -
[फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त (का व स)

टोपो डेविस / Tojo Davis
अधीक्षक / Superintendent
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि-18
Central Tax & Central Excise, Kochi-18

सेवा में


संबंधित व्यक्ति (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति समर्पित :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कालिकट/ लेखापरीक्षा/ अपीलस

प्रति :

1. मु.ले.अ / भु. ले.अ / प्र. अ (डीडीओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि
2. अधीक्षक (सतर्कता/ सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा. भा.), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI - 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

दिनांक: 26.03.2026

आदेश सं. 21/2026

विषय : तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधीक्षक के केडर में पदोन्नति के संबंध में

श्री रवीन्द्र मारुति पालकर (जन्म तिथि - 16.08.1982), निरीक्षक, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क को नियमित आधार पर केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक, वर्ग 'ख' पद पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 तथा समय-समय पर लागू भत्तों सहित, उच्च पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तथा आगामी आदेशों तक पदोन्नत किया जाता है।

2. निरीक्षकों को अधीक्षक ग्रेड में पदोन्नति, विभाग द्वारा, ओ.पी. (कैट) सं. 4305/2011, ओ.पी. (कैट) सं. 999/2012, ओ.पी. (कैट) सं. 998/2012, ओ.पी. (कैट) सं. 968/2012, के ओ.ए. सं. 523/2023, 527/2023, 543/2023 एवं 344/2024 कैट (एर्नाकुलम पीठ) के उच्च न्यायालय के दिनांक 28.03.2012 के आदेश के विरुद्ध, दायर एस.एल.पी. सं. 20810/2012, तथा हरिहरन बनाम हर्षवर्धन मामले में एस.एल.पी. (सी) सं. 16161/2018 से उत्पन्न सिविल अपील में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहद पीठ के समक्ष लंबित निर्णय तथा संबंधित न्यायालयों/अधिकरणों में लंबित अन्य मामलों के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

3. अधिकारी को अधीक्षक के पद पर अस्थायी (ऑफिसिएटिंग) आधार पर पदोन्नत किया जाता है, जब तक कि उसके कनिष्ठ अधिकारियों को अधीक्षक के पद पर पदोन्नत नहीं किया जाता। इसके पश्चात नवपदोन्नत अधिकारी को अस्थायी (ऑफिसिएटिंग) आधार पर माना जाएगा। अगले तक, अनारक्षित श्रेणी के वरिष्ठता क्रम में सबसे कनिष्ठ कुल छह अधिकारी सदैव अस्थायी (ऑफिसिएटिंग) आधार पर रहेंगे।

4. अधिकारी 01.04.2026 को अथवा उसके बाद 10.04.2026 तक कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।
5. अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने/कार्यभार ग्रहण न करने संबंधी अनुपालन रिपोर्ट इस कार्यालय को 13.04.2026 तक भेजा जाए।
6. यह आदेश आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अनुमोदित
का

सेवा में
अधीक्षक / Tojo Davis
कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क कोच्चि-18
Tax & Central
chi-18

ह/-

[डॉ. फारा ज़खरिया]

संयुक्त आयुक्त (का व स)

- 1 संबंधित अधिकारी (पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति समर्पित :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि, कालिकट

प्रति :

1. मुख्य लेखा अधिकारी / भुगतान व लेखा अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि/ कालिकट आयुक्तालय
2. सहायक निदेशक (रा. भा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय , कोच्चि
3. प्रशासनिक अधिकारी (डीडीओ), अधीक्षक (गोपनीय/ सतर्कता) कोच्चि आयुक्तालय
3. अधीक्षक (सिस्टम्स) – वेबसाइट में अपलोड करने के लिए



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

जेक्सकॉम/II/(3)/1/2024-स्था

दिनांक : 27.03.2026

आदेश सं.22/2026

विषय : आशुलिपिक ग्रेड-II के केडर में नोशनल पदोन्नति - के संबंध में

श्री नौशाद पी.एच. (वर्तमान में निरीक्षक के रूप में कार्यरत) को दिनांक 01.04.2009 से स्टेनोग्राफर ग्रेड-II (पूर्ववर्ती) के केडर पर, अर्थात् उनके तत्काल कनिष्ठ श्री हमीद के. के. द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड-II (पूर्ववर्ती) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, काल्पनिक (नोशनल) पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2. स्टेनोग्राफर ग्रेड-II (पूर्ववर्ती) के संवर्ग में अधिकारी की वरिष्ठता श्री यासर अराफात के. के. ठीक नीचे तथा श्री हमीद के. के. के ऊपर निर्धारित की जाती है।
3. अधिकारी वास्तविक पदोन्नति की तिथि से पूर्व की काल्पनिक पदोन्नति अवधि के लिए वेतन के बकाया (एरियर) , यदि कोई हो, का अधिकार होगा।
4. अधिकारी को वेतन निर्धारण के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापनों दिनांक 26.09.1981, 05.07.1999 तथा 27.07.2017 के अनुसार इस आदेश की जारी तिथि से एक माह के भीतर विकल्प देना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम माना जाएगा। यदि अधिकारी को पहले ही एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जा चुका है, तो वह अब वेतन निर्धारण के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा।

॥ अनु प्रमाणित ॥
4

टो जो डेविस / Tojo Davis
अधीक्षक / Superintendent
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि-18
Central Tax & Central Excise, Kochi-18

ह/-

[डॉ. फारा ज़खरिया]

संयुक्त आयुक्त (का व स)

सेवा में

संबंधित अधिकारी (संबंधित पर्यवेक्षी अधिकारी के माध्यम से)

प्रति समर्पित :

1. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि

प्रति :

1. अधीक्षक(सतर्कता/ सिस्टम्स), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय कोच्चि
2. मु.ले.अ/भु.ले.अ/प्र.अ (डीडीओ), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय कोच्चि
3. सहायक निदेशक (रा.भा), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय कोच्चि
4. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क, इडुक्की मण्डल



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

जेक्सकॉम/II/(3)/43/2020-स्था-पार्ट(1)

दिनांक: 30.03.2026

आदेश सं: 24/2026

(डीजीएचआरडी नियुक्ति आदेश संख्या तिरुवनंतपुरम जीएसटी व सीएक्स/ कोच्चि/
सहायक हलवाई-व-रसोइया (कैंटीन)/103768

विषय: सहायक हलवाई-व-रसोइया के पद पर नियुक्ति के संबंध में

केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के समसंख्यक दिनांक 16.03.2026 के नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार करने पर, श्री प्रसंदा कुमार पी. एस., जो कि यूआर/ईएसएम श्रेणी के अंतर्गत केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, तिरुवनंतपुरम ज़ोन में सहायक हलवाई-व-रसोइया के पद हेतु अनुशंसित अभ्यर्थी हैं, उन्हें केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम ज़ोन में अस्थायी आधार पर सहायक हलवाई-व-रसोइया के पद पर नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति उनके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के अधीन होगी। यह नियुक्ति वेतन मैट्रिक्स के लेवल-2 (₹19,900-63,200) में तथा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्तों सहित, दिनांक 30.03.2026 (पूर्वाहन) से प्रभावी होगी।

2. श्री प्रसंदा कुमार पी. एस. को सूचित किया जाता है कि उनकी नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक वे परिवीक्षा (प्रोबेशन) पर रहेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी यदि उचित समझे तो परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है। अभ्यर्थी को अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण (इंडक्शन ट्रेनिंग) प्राप्त करना होगा, जो परिवीक्षा पूर्ण करने के लिए आवश्यक है।

- 3 यदि परिवीक्षा अवधि या उसके किसी विस्तार की समाप्ति पर, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लेखित है, नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उक्त अभ्यर्थी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, या परिवीक्षा अवधि अथवा उसके विस्तार के दौरान किसी भी समय यह पाया जाता है कि वह स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा, तो नियुक्ति प्राधिकारी उसकी सेवा समाप्त कर सकता है या आवश्यकतानुसार अन्य आदेश पारित कर सकता है।

॥ अणु प्रमाणित ॥

टोप डेविस / Topo Davis
अधीक्षक / Superintendent
सेवा में कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि-13
Central Tax & Central Excise, Kochi-13

श्री प्रसंदा कुमार पी. एस
कड़मपाट्ट तरायिल
पड़िनजाट्ट मुरी
शूरनाड नॉर्थ
कोल्लम 690561.

ह/-

[डॉ. फारा ज़क्करिया]
संयुक्त आयुक्त (का व स)

प्रति समर्पित :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि

प्रति :

1. अधीक्षक (सतर्कता), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि
2. मु.ले.अ/भु ले अ/प्रअ (डीडीओ), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि
3. सहायक निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि
4. अधीक्षक (सिस्टम्स), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि वेबसाइट में अपलोड करने के लिए



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

जेक्सकॉम /II/(13)/3/2020-स्था

दिनांक : 12.01.2026

स्थापना परिपत्र

निम्न पत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :

क्र. सं	फ़ाइल संख्या व दिनांक	विषय
1.	महानिदेशक, जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई की फ. सं. डीजीजीआइ/II/6/2023-प्रशासन - प्र.अ.म.नि- डीजीजीआइ-क्षे-लखनाऊ कार्यालय दि. 23.12.2025	जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, लखनऊ क्षेत्रीय इकाई, लखनऊ और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, आगरा और कानपुर, में ऋण आधार पर आसूचना अधिकारी की नियुक्ति के लिए पैनल का गठन।
2.	अपर महा निदेशक, नासिन, क्षेत्रीय केंपस, भोपाल की फ. सं. नासिन /II/13/15/2020-लेखा-अ.म.नि- नासिन-क्षेकै. भोपाल दिनांक 26.12.2025.	राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी (NACIN), भोपाल के क्षेत्रीय परिसर में प्रशासनिक अधिकारी और निरीक्षक के पद के लिए तत्परता

उपरोक्त पत्रों की प्रति कोच्चि कमिश्नरेट की वेबसाइट - <http://www.cenexcisekochi.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है।

माया कुरियन

[माया कुरियन]


उप आयुक्त (का व स)

प्रति समर्पित :

1. प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि
3. संयुक्त आयुक्त (का व स), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि

प्रति :

1. कोच्चि आयुक्तालय के अधीनस्थ मण्डल कार्यालयों के सहायक/ उप आयुक्त
2. कोच्चि मुख्यालय के सभी अनुभाग अध्यक्ष
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) को वेब साइट पर अपलोड करने के लिए
4. नोटीस बोर्ड, मुख्यालय कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2026-ESTT

दिनांक :19.01.2026

परिपत्र

**विषय : वा.सा.स्था 2026 – तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा
ई-सेवानिधि ऐप में डेटा का अद्यतन – के संबंध में**

तिरुवनंतपुरम जोन के तहत कार्यरत गुप बी और गुप सी कैडर के सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने व्यक्तिगत डेटा और पदस्थापन संबंधी विवरण को तुरंत ई-सेवानिधि ऐप (esevanidhi.in/login) में अपडेट करें। आवेदन में लॉगइन करने के लिए, अधिकारी अपने यूजरनेम के रूप में अपने पैन और पहले बनाए गए पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। नए पंजीकृत अधिकारियों के लिए, डिफॉल्ट पासवर्ड 'cca2024' है। अधिकारियों के लिए यह आवश्यक है कि वे लॉगइन स्क्रीन के ऊपर दाएं ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध 'पासवर्ड बदलें' विकल्प का उपयोग करके अपना पासवर्ड बदलें।

2 चूंकि अधिकारियों के व्यक्तिगत डेटा और पदस्थापन संबंधी विवरण को विभाग के पास उपलब्ध डेटा से माइग्रेट किया गया है, इसलिए सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि वे एजीटी 2022 के दौरान अपने व्यक्तिगत डेटा और पदस्थापन संबंधी विवरण को सत्यापित करें और जहां भी आवश्यक हो, आवश्यक परिवर्तन करें। हालांकि, बाद के वर्षों में वार्षिक सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदनों को संसाधित करते समय, यह देखा गया कि कुछ अधिकारियों ने अपना डेटा ठीक से अपडेट नहीं किया था। इसलिए सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने

व्यक्तिगत डेटा और पदस्थापन संबंधी विवरण को ध्यान से देखें और उचित रूप से अपडेट करें। जिन क्षेत्रों में ' माइग्रेटड ' दिखाया गया है, उनमें उपलब्ध ड्रॉप-डाउन मेनू से सही डेटा दर्ज किया जाना चाहिए। 'अधिकारी' मॉड्यूल के तहत विभिन्न ड्रॉप-डाउन मेनू का विवरण इस परिपत्र के अनुलग्नक में दिया गया है। डेटा के अद्यतन/जोड़ के बाद, अधिकारी को इसकी शुद्धता के लिए पूरे डेटा को सत्यापित करना चाहिए।

3 डेटा को संपादित और अद्यतन करने के बाद, सत्यापन के लिए उसी को सत्यापन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाए जो संबंधित मण्डल /मुख्यालय का प्रशासनिक अधिकारी होगा। सत्यापन के लिए डेटा जमा करने के लिए, अधिकारी को 'एजीटी' मॉड्यूल में जाना होगा और ड्रॉप डाउन में 'मेसेज ' का चयन करना होगा। 'संदेश जोड़ें (एड मेसेज) बटन पर क्लिक करें', ड्रॉप-डाउन मेनू से संबंधित सत्यापन अधिकारी का चयन करें, सत्यापन के लिए अनुरोध करते हुए एक संदेश टाइप करें और उसी को 'सेव' करें। यदि ड्रॉप-डाउन मेनू में प्रशासनिक अधिकारी का नाम उपलब्ध नहीं है, तो मामले को अद्यतन के लिए कोचिंग आयुक्तालय के स्थापना अनुभाग को सूचित किया जाए।

4 प्रशासनिक अधिकारियों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग-इन करना होगा और प्राप्त सत्यापन अनुरोधों को 'सीसीए' मॉड्यूल के 'सत्यापन' ड्रॉप डाउन मेनू में देखा जा सकता है। प्राप्त अनुरोधों को सत्यता के लिए अधिकारी की सर्विसबुक में मौजूद डेटा के साथ सत्यापित किया जाना चाहिए। यदि जिस अधिकारी से अनुरोध प्राप्त हुआ है, वह उसके प्रभार के अधीन नहीं है या उसे ठीक से अपडेट नहीं किया गया है, तो अनुरोध वापस अधिकारी को लौटाया जा सकता है। सभी प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने विवरण के साथ-साथ अग्रेषण अधिकारी (संबंधित डिवीजन/मुख्यालय के उप/सहायक आयुक्त) के विवरण को सत्यापन/अग्रेषण मॉड्यूल में अपडेट करवा लें।

5 **व्यक्तिगत डेटा और पदस्थापन संबंधी विवरण का सबमिशन/सत्यापन नवीनतम 10.02.2026 तक पूरा किया जाना चाहिए।**

6 सत्यापन प्रक्रिया की पूर्ति पर, एजीटी प्रोफार्मा की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए, अधिकारियों के लिए वार्षिक सामान्य हस्तांतरण मॉड्यूल सक्रिय हो जाएगा।

7 व्यक्तिगत डेटा और पदस्थापन संबंधी विवरण को अपडेट करने के लिए यदि आवश्यक हो तो ,सहायता के लिए स्थापना/सिस्टम अनुभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से संपर्क किया जा सकता है।

8 झूठा/गलत/अपूर्ण डेटा जमा करना गंभीरता से देखा जाएगा। डेटा के अद्यतन और डेटा के सत्यापन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक पूरा किया जाए।

11/3/2019 प्रसूचित
Tojo Davis / Tojo Davis
Superintendent
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि-18
Central Excise, Kochi-18

ह/-
(डॉ.फारा ज़खरिया)
संयुक्त आयुक्त [का व स]

प्रति समर्पित:

- क) मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
- ख) प्रधान आयुक्त/ आयुक्त केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क, कोच्चि/ तिरुवनंतपुरम/ कालीकट/लेखापरीक्षा,कोच्चि/अपील्स,कोच्चि/सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय
- ग) अपर महा निदेशक, डीआरआइ क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि/ डीजीजीआइ क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि/ नासिन कोच्चि

प्रति :

1. अपर /सहायक आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/ कालीकट, लेखापरीक्षा कोच्चि/ सीमाशुल्क(निवारक)/ अपील्स कोच्चि आयुक्तालय
2. उप/ सहायक आयुक्त कोच्चि, तिरुवनंतपुरम/ कालीकट, लेखापरीक्षा कोच्चि/ सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय के अधीनस्थ मण्डल कार्यालय
3. सहायक आयुक्त (रा. भा), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क मुख्यालय, कोच्चि
4. सभी डीडीओ, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम/ कालीकट, लेखापरीक्षा कोच्चि/ सीमाशुल्क(निवारक) आयुक्तालय
5. सभी अनुभाग अध्यक्ष, मुख्यालय, कोच्चि,
6. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पादशुल्क , तिरुवनंतपुरम के कर्मचारी संघों के सभी महासचिव
7. अधीक्षक, सिस्टम्स, मुख्यालय, कोच्चि (वेबसाइट में अपलोड करने के लिए)
8. सूचनापट्ट, मुख्यालय, कोच्चि

अनुसूचक

- (i) एप्लिकेशन की होम स्क्रीन में अधिकारी मॉड्यूल में, निम्नलिखित ड्रॉप-डाउन मॉड्यूल उपलब्ध हैं।

डेटा को संपादित/दर्ज करने के लिए 'संपादित अधिकारी' बटन पर क्लिक किया जा सकता है। पहला नाम और अंतिम नाम अनिवार्य हैं। शेष फ़ील्ड में से निम्नलिखित अनिवार्य हैं।

- मोबाइल नंबर
- पदनाम
- क्षेत्र
- आयुक्तालय
- मण्डल
- रैंज
- श्रेणी
- कैडर
- गृह नगर

शेष फ़ील्ड अनिवार्य नहीं है।

- (ii) व्यक्तिगत

वैवाहिक स्थिति और जीवनसाथी की रोजगार विवरण दर्ज करने के लिए "Edit Personal" बटन पर क्लिक किया जा सकता है।

- (iii) तैनाती

पदस्थापन संबंधी विवरण विभाग के पास उपलब्ध पुराने डेटा से स्थानान्तरित किया गया है। अधिकारियों को प्रत्येक प्रविष्टि की शुद्धता के लिए सत्यापन करना होगा और प्रत्येक पंक्ति के दाईं ओर उपलब्ध 'संपादित करें' ('Edit') बटन का उपयोग करके विवरण संपादित किए जा सकते हैं। स्टेशन, पदनाम, कब से तारीख, कब तक तारीख, संवर्ग, जोन, आयुक्तालय, प्रभाग और रैंज जैसे क्षेत्रों को अधिकारी द्वारा संपादित किया जा सकता है। 'पोस्टिंग जोड़ें' ('Add Posting') बटन का

उपयोग करके नई पोस्टिंग का विवरण जोड़ा जा सकता है। कुछ क्षेत्रों में 'माइग्रेटड' नाम दिखाई दे सकता है, जिसने पुराने डेटाबेस से डेटा नहीं लिया है और इसे लागू नामों के साथ बदलना होगा

(iv) प्रशिक्षण Training

प्रशिक्षण संबंधी विवरण 'Add Training' बटन का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है

(v) पदोन्नति


पदोन्नति संबंधी विवरण 'AddPromotion' बटन का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है

(vi) पुरस्कार

पुरस्कार संबंधी विवरण 'Add Award' बटन का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है

(vii) शिक्षा :

शिक्षा संबंधी योग्यता का विवरण 'Add Education' बटन का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई.एस.प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(13)/2/2024-ESTT

दिनांक /Dated: 20.01.2026

परिपत्र /CIRCULAR

विषय : तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 'प्रशासनिक अधिकारी' के पद के लिए इच्छा - संबंधित ।

Subject: Willingness for the post of 'Administrative Officer' in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on deputation basis - reg.

फाइल सं. A-26017/91/2017 Ad.IIA दिनांक 16.03.2022 के माध्यम से जारी बोर्ड के पत्र के अनुसरण में केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में, प्रत्येक पद के लिए इंगित वेतन स्तर में, निम्नलिखित पदों को भरने के लिए मूल कैडर / विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विवरण इस प्रकार हैं-

In pursuance of the Board's letter vide F.No.A-26017/91/2017 Ad.IIA dated 16.03.2022, applications are invited from willing officers of the Central Government/State Governments/Union Territories holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department, for filling up the following post(s) in Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone, in the pay level indicated against each post. The details are as under-

क्रम सं. Sl. No.	पद का नाम Name of the Post	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर Pay Level in Pay Matrix	रिक्तियों का विवरण Details of Vacancies	
			आयुक्तालय Commissionerate	रिक्तियां Vacancies
1.	प्रशासनिक अधिकारी, सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह-ख, राजपत्रित, अनुसचिवीय Administrative Officer, General Central Service, Group-B, Gazetted, Ministerial.	Level 7 in the Pay Matrix (Rs. 44900-142000/-)	कोळिककोड / Kozhikode	6
			कोच्चि / Kochi	10
			सीमा शुल्क निवारक आयुक्तालय, कोचिन Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	3
			तिरुवनंतपुरम Thiruvananthapuram	6
			लेखा परीक्षा /Audit	1
			अपील, कोच्चि/ Appeals, Kochi	1
			सी सी ओ -सी सी ए, कोच्चि CCO-CCA, Kochi	3
			कुल रिक्तियों की संख्या Total no. of vacancies	30

2. उपरोक्त पद को वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी, समूह 'ख' भर्ती नियम, 2020 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:

The above post shall be filled up on deputation basis in accordance with the eligibility conditions prescribed under the Administrative Officer, Group 'B' Recruitment Rules, 2020 of the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Indirect Taxes and Customs, as detailed below:

प्रतिनियुक्ति / Deputation:

- (क) (i) मूल संवर्ग अथवा विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हो,
(a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department;

अथवा or

(ii) मूल संवर्ग अथवा विभाग में वेतन -मैट्रिक्स (35400 -112400 रुपए) में स्तर -6 में नियमित आधार पर उसमें नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो या समतुल्य

(ii) With five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400) or equivalent in the parent cadre or Department.

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव रखता हो :

(b) Possessing the following educational qualification and experience:

(i) मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय अथवा संस्थान से स्नातक डिग्री

(i) Bachelor's degree from a recognized University or Institute.

(i) सरकारी कार्यालय अथवा पब्लिक सेक्टर अथवा स्वायत्तशासी निकाय अथवा कानूनी निकाय में लेखा, प्रशासन, स्थापना कार्य में दो वर्ष का अनुभव

(ii) Two years experience in Accounts, Administration, Establishment work in a Government Office or Public Sector Undertaking or Autonomous body or Statutory body.

टिप्पण 1 : केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी दूसरे अथवा विभाग में इस नियुक्ति के तुरंत पूर्व धारित एकस -केंद्र पद में अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी या समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बढ़ाई जाएगी।

Note 1: The period of deputation including the period in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government, shall ordinarily not exceed five years or extended as per the guidelines issued by the Government of India from time to time.

टिप्पण 2 : पोषक प्रवर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति वालों को भी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।

Note 2: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

Note 3: The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.

3. यह अनुरोध किया जाता है कि इच्छुक और योग्य अधिकारियों के आवेदन संलग्न प्रोफार्मा (अनुलग्नक I) के अनुसार उनके विवरण के साथ इस कार्यालय को अग्रेषित किए जा सकते हैं, साथ ही पिछले 5 वर्षों के लिए एपीएआर ग्रेडिंग, सतर्कता मंजूरी और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र, पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर लगाए गए बड़े/मामूली दंड को दर्शाने वाला विवरण और कैंडर नियंत्रण प्राधिकरण से अधिकारी के चयन की स्थिति में उसे कार्यमुक्त करने के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' । इच्छुक और पात्र अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन को केवल उचित माध्यम से 'केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीआर बिल्डिंग, आईएस प्रेस रोड, कोच्चि, केरल - 682018' को संबोधित करते हुए भेजें। अपूर्ण आवेदन या उचित चैनल के माध्यम से प्राप्त नहीं किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

It is requested that applications of willing and eligible officers may be forwarded to this office with their particulars as per the attached proforma (Annexure I) along with APAR grading for the last 5 years, Vigilance Clearance & Integrity Certificate, statement indicating the major / minor penalties imposed upon the applicant during the last 10 years and 'No Objection Certificate' from the Cadre Controlling Authority to relieve the officer in the event of his/ her selection. The willing and eligible officers are requested to send their application only through proper channel addressed to 'The Commissioner of Central Tax and Central Excise, C.R. Building, I.S. Press Road, Kochi, Kerala - 682018'. Incomplete applications or applications not received through proper channel will not be considered.

4. जिन अधिकारियों का चयन किया जाता है, उन्हें आम तौर पर केवल 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर बढ़ाया जा सकता है। अधिकारी लागू प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए पात्र होंगे। उन्हें अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और तीन साल के कार्यकाल की समाप्ति तक उन्हें कार्यमुक्त भी नहीं किया जाएगा। उन्हें केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी तैनात किया जा सकता है (जिसमें सीसीओ-सीसीए, 3 सीजीएसटी आयुक्तालय (जैसे 1 तिरुवनंतपुरम, 2. कोच्चि, 3.कोळिककोड सीजीएसटी आयुक्तालय) लेखा परीक्षा आयुक्तालय, कोच्चि, अपील आयुक्तालय, कोच्चि और सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचीन और इस क्षेत्र के अन्य संभागीय संरचनाएं शामिल हैं)। यदि केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र में अपने कार्यकाल के दौरान अधिकारी का प्रदर्शन और / या आचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो अधिकारी को प्रतिनियुक्ति अवधि के

पूरा होने से पहले ही मूल विभाग / आयुक्तालय / निदेशालय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकाय में वापस भेज दिया जाएगा।

The officers who are selected would be normally appointed for a period of 3 years only, which may be extended at the discretion of the Competent Authority. The officers will be eligible for Deputation Allowance as applicable. They will not be allowed to withdraw their name and will also not be relieved till the expiry of the tenure of three years. They may be posted anywhere in the jurisdiction of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone (which includes CCO-CCA, 3 CGST Commissionerates (viz. 1. Thiruvananthapuram, 2. Kochi, 3. Kozhikode), Audit Commissionerate, Kochi, Appeals Commissionerate, Kochi and Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin and other Divisional formations of this Zone). If the performance and / or the conduct of the officer is not found to be satisfactory during his / her tenure at Central Tax, Central Excise, and Customs, Thiruvananthapuram Zone, the officer will be repatriated to the parent Department/ Commissionerate / Directorate / Public Sector Undertaking/ Autonomous body even before completion of the deputation period.

5. यह अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र को कृपया अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी संरचनाओं(कार्यालयों) के ध्यान में लाया जाए।

It is requested that this circular may please be brought to the notice of all the formations under your jurisdiction.


6. आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 27.03.2026 है।

The last date of receipt of the application is 27.03.2026.

7. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of the competent authority.

संलग्न : यथोपरि
Encl: As above.


(माया कुरियन /Maya Kurian)
उप आयुक्त (का व सत)
Deputy Commissioner (P&V)

प्रति प्रस्तुत है / Copy submitted to:

1. वेबमास्टर (सीबीआईसी), सिस्टम निदेशालय, सीआर बिल्डिंग, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली- इस परिपत्र को सीबीआईसी की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।

The Webmaster (CBIC), Directorate of Systems, CR Building, IP Estate, New Delhi- with a request to place this Circular on CBIC's website.

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र को उनके मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी परिचालित किया जाए।
All Ministries & Department of Government of India with request that this circular may be circulated in their Ministries / Departments and also among their attached/ subordinate Offices.
3. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के मुख्य सचिव।
The Chief Secretaries to the Government of all States/UTs.
4. बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, आरपीएफ, असम राइफल्स, एनसीआरबी के महानिदेशक ने अनुरोध किया जाता है कि इस परिपत्र को उनके विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी परिचालित किया जाए।
The Director General of BSF, CRPF, CISF, SSB, ITBP, RPF, Assam Rifles, NCRB with request that this circular may be circulated in their Departments and also among their attached/subordinate offices.
5. मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/पोस्टमास्टर जनरल/निदेशक डाक सेवा, तिरुवनंतपुरम/कोच्चि/कोळिकेड/चेन्नई/बेंगलुरु/विजयवाड़ा क्षेत्र अनुरोध करते हैं कि इस परिपत्र को उनके विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी परिचालित किया जाए।
The Chief Postmaster General / Postmaster General/ Director Postal Service, Thiruvananthapuram/ Kochi/ Kozhikode/ Chennai/ Bengaluru/ Vijayawada Regions with request that this circular may be circulated in their Departments and also among their attached/subordinate offices.
6. सीबीडीटी के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/महानिदेशक।
All Principal Chief Commissioners/Chief Commissioners/ Director Generals of CBDT.
7. सीबीआईसी के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/महानिदेशक।
All Principal Chief Commissioners/Chief Commissioners/ Director Generals of CBIC.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(13)/3/2020-ESTT-Part(I)

दिनांक: 27.01.2026

स्थापना परिपत्र

निम्न पत्रों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है

क्र. सं	फाइल संख्या व दिनांक	विषय
1.	DRI/II/13/DEP/4/2020-ADD/ J D-I-O/oADG-DRI-ZU-KOLKATA dated 12.01.2026 of the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Kolkata Zonal Unit.	राजस्व आसूचना निदेशालय, कोलकाता क्षेत्रीय इकाई और इसके क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय इकाई में ऋण/प्रतिनियुक्ति के आधार पर आसूचना अधिकारियों की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करना- संबंधी .
2.	F.No. DGGI/II/3/APPT/2/2026-GrB-O/oADG-DGGI-ZU-PUNE dated 07.01.2026 of the Additional Director General, DGGI, Pune Zonal Unit.	जीएसटी आसूचना महानिदेशालय, पुणे क्षेत्रीय इकाई और गोवा और कोल्हापुर में इसकी क्षेत्रीय इकाइयों में ऋण के आधार पर वरिष्ठ आसूचना अधिकारी/आसूचना अधिकारी की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करना

उपरोक्त पत्रों की प्रति कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट - <http://www.cenexcisekochi.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है।

माया कुरियन

[माया कुरियन]

उप आयुक्त (का व स)

प्रति समर्पित :

1. प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि
3. अपर आयुक्त (का व स), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि

प्रति :

1. कोच्चि आयुक्तालय के अधीनस्थ मण्डल कार्यालयों के सहायक/ उप आयुक्त
2. कोच्चि मुख्यालय के सभी अनुभाग अध्यक्ष
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) को वेब साइट पर अपलोड करने के लिए
नोटीस बोर्ड, मुख्यालय कोच्चि
4. सूचना बोर्ड, मुख्यालय कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(13)/3/2020-ESTT

दिनांक: 11.02.2026

स्थापना परिपत्र

निम्न पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :

क्र. सं	फ़ाइल संख्या व दिनांक	विषय
1.	डीजी नासिन फरीदाबाद की फ. सं नासिन/II/3/पोस्ट/27/2021-स्था	ऋण आधार पर एनासिन जेडटीआई-दिल्ली (फरीदाबाद कैंपस) में निरीक्षक के पद के लिए तत्परता

उपरोक्त पत्र की प्रति कोच्चि आयुक्तालय की वेबसाइट – <http://www.cenexcisekochi.gov.in>
से डाउनलोड की जा सकती है।

[माया कुरियन]

उप आयुक्त (का व स)

प्रति समर्पित :

1. प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय कर, केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र
2. आयुक्त, केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि
3. अपर आयुक्त (का व स), केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क कोच्चि

प्रति :

1. कोच्चि आयुक्तालय के अधीनस्थ मण्डल कार्यालयों के सहायक/ उप आयुक्त
2. कोच्चि मुख्यालय के सभी अनुभाग अध्यक्ष
3. अधीक्षक(सिस्टम्स) को वेब साइट पर अपलोड करने के लिए
नोटीस बोर्ड, मुख्यालय कोच्चि
4. सूचना बोर्ड, मुख्यालय कोच्चि



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2026-Estt

दिनांक : 17.02.2026

परिपत्र सं . 2

विषय : तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पादशुल्क आयुक्तालयों में
वार्षिक सामान्य स्थानांतरण (एजीटी), 2026 - संबंधित

दिनांक 19.01.2026 के इस कार्यालय के परिपत्र, जो ई-सेवानिधि ऐप में डाटा अद्यतन करने के संबंध में जारी किया गया था, के क्रम में वार्षिक सामान्य स्थानांतरण 2026 हेतु अधिकारियों से विकल्प प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं।

2. अधिकारियों द्वारा एजीटी प्रोफार्मा ऑनलाइन भरने हेतु eSevanidhi App में वार्षिक सामान्य स्थानांतरण मॉड्यूल सक्रिय कर दिया गया है। सभी अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे वार्षिक सामान्य स्थानांतरण 2026 में अपने मामलों पर विचार हेतु वेबसाइट 'http://esevanidhi.in' पर उपलब्ध प्रोफार्मा में अपना स्थानांतरण/प्रतिधारण अनुरोध प्रस्तुत करें। eSevanidhi एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद अधिकारी होम स्क्रीन पर उपलब्ध एजीटी मॉड्यूल से एजीटी आवेदन तक पहुँच सकते हैं। AGT मॉड्यूल में निम्नलिखित ड्रॉप डाउन मॉड्यूल उपलब्ध हैं :

(i) एजीटी

अधिकारी एजीटी 2026 में विचार हेतु इस ड्रॉप डाउन मॉड्यूल में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। 'एजीटी' पर क्लिक करने के बाद एजीटी प्रोफार्मा तक पहुँचने के लिए 'Add Application' का चयन करना होगा। यहाँ अधिकारी निम्नलिखित विकल्प दे सकते हैं :

- यदि ICT हेतु इच्छुक हों तो आयुक्तालयों के विकल्प।
- वर्तमान स्टेशन पर प्रतिधारण अथवा अन्य स्टेशनों के विकल्प।
- प्रतिधारण/विशिष्ट स्टेशन हेतु अनुरोध का कारण। यदि कोई चिकित्सीय समस्या हो तो उसका उल्लेख यहां दे सकते हैं ।
- हवाई अड्डों के स्थान हेतु विकल्प।

- क्या पूर्व में एयरपोर्ट /यूबी /एसीसी (आ व नि) में कार्य किया है।
- डीजीजीआइ हेतु इच्छुकता।
- डीआरआइ हेतु इच्छुकता।
- नासिन , कोच्चि हेतु इच्छुकता।
- कवरती रेंज, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में पदस्थापन हेतु इच्छुकता।

(ii) पूर्व आवेदन

यहाँ अधिकारी अपने पूर्व एजीटी आवेदन देख सकते हैं।

(ii) आवेदन प्रस्तुत करें

अधिकारी एजीटी आवेदन को सुरक्षित कर उसमें संशोधन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। जमा करने के बाद आवेदन स्वतः सत्यापन हेतु अग्रेषित हो जाएगा।

3. सभी अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे केवल ऑनलाइन माध्यम से ही अपना अनुरोध प्रस्तुत करें; अब तक प्राप्त सभी अभ्यावेदनों का निस्तारण किया जा चुका है। जो अधिकारी स्थानांतरण प्रोफार्मा प्रस्तुत नहीं करेंगे, उनके बारे में यह माना जाएगा कि वे तिरुवनंतपुरम क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कहीं भी पदस्थापन हेतु इच्छुक हैं।
4. स्थानांतरण आदेश जारी करते समय स्थानांतरण प्रोफार्मा में दिए गए विकल्पों पर विचार किया जाएगा। यदि अधिकारी अपने विकल्प नहीं चुनते हैं, तो यह माना जाएगा कि उन्हें रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।
5. सत्यापन के पश्चात प्रशासनिक अधिकारी आवेदन को अग्रेषण अधिकारी को भेजेंगे। अग्रेषण अधिकारी संबंधित मंडल/मुख्यालय के उप/सहायक आयुक्त होंगे, जो आगे आवेदन को सीसीए को अग्रेषित करेंगे। आवेदन अग्रेषित करते समय अग्रेषण अधिकारी को अधिकारियों द्वारा प्रतिधारण अथवा चिकित्सीय आधार पर हवाई अड्डा पदस्थापन हेतु अनिच्छा के दावे की प्रामाणिकता प्रमाणित करनी होगी, यदि ऐसा उल्लेख अधिकारी द्वारा किया गया हो। अधिकारियों द्वारा एजीटी अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.03.2026 है।
6. आवेदन के उपयोग से संबंधित संदेहों के समाधान एवं स्पष्टीकरण हेतु स्थापना अनुभाग , मुख्यालय, कोच्चि आयुक्तालय के कर्मचारियों से संपर्क किया जा सकता है।
7. यह केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय के आयुक्त की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

॥ अनुप्रमाणित ॥

टो जो डेविस / Tojo Davis
अधीक्षक / Superintendent
केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि
Central Tax & Central Excise, Kochi-16

ह/-
[फारा ज़खरिया]

संयुक्त आयुक्त [का व स]

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र।
2. आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोझिकोड/ऑडिट, कोच्चि/अपील, कोच्चि/सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय।
3. अपर महानिदेशक, डीआरआइ क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि/डीजीजीआइ क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि/नासिन, कोच्चि।

प्रतिलिपि :

1. अपर /संयुक्त आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/कोझिकोड/ऑडिट, कोच्चि/सीमा शुल्क (निवारक)/अपील, कोच्चि आयुक्तालय।
2. उप/सहायक आयुक्त, कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोझिकोड/ऑडिट, कोच्चि/सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के मंडलों के प्रभारी।
3. सभी डीडीओ, कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोझिकोड/ऑडिट, कोच्चि/सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय।
4. मुख्यालय कार्यालय, कोच्चि के सभी अनुभागाध्यक्ष।
5. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के सभी स्टाफ एसोसिएशनों के महासचिव।
6. अधीक्षक, सिस्टम्स, मुख्यालय, कोच्चि (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।
7. सूचना पट्ट, मुख्यालय कार्यालय, कोच्चि।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2026-Estt

दिनांक : 04.03.2026

अनुस्मारक – I

(परिपत्र दिनांक 17.02.2026)

विषय: तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालयों में
वार्षिक सामान्य स्थानांतरण (AGT), 2026 - अनुपालन न होने संबंधी डाटा
के संबंध में।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 17.02.2026 के परिपत्र का संदर्भ लें, जो e-Sevanidhi पोर्टल में वार्षिक सामान्य स्थानांतरण (AGT) 2026 प्रोफार्मा के सक्रियण के संबंध में जारी किया गया था। परिपत्र के अनुसार विकल्प/अनुरोध प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10.03.2026 है।

2. दिनांक 04.03.2026 की स्थिति के अनुसार पोर्टल पर AGT आवेदनों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं	स्थिति	आवेदनों की संख्या
1.	कुल आवेदन	448
2.	पूर्ण रूप से भरे गए	8
3.	सत्यापन लंबित	95
4.	अग्रेषण लंबित	161
5.	ड्राफ्ट	184

3. पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यदि अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर पोर्टल पर AGT आवेदन प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो यह माना जाएगा कि वे तिरुवनंतपुरम क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कहीं भी पदस्थापन हेतु इच्छुक हैं।

4. सभी अग्रेषण अधिकारियों एवं सत्यापन अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने अपना AGT आवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

5. सभी अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे 'AGT > Message' मॉड्यूल में अपने आवेदन की स्थिति जाँचें तथा देखें कि स्थिति 'ड्राफ्ट (Draft)', 'प्रस्तुत (Submitted)', 'सत्यापित (Verified)' अथवा 'Forwarded' है। यह देखा गया है कि दिनांक 04.03.2026 तक कुल 184 आवेदन 'Draft' मोड में लंबित हैं। लंबित आवेदनों के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई निम्नानुसार है:

स्थिति	कार्रवाई
ड्राफ्ट	अधिकारियों द्वारा AGT प्रोफार्मा भरकर ड्राफ्ट के रूप में सुरक्षित किया गया है, परंतु उसे सत्यापन अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे मामलों में अधिकारी को ड्राफ्ट आवेदन खोलकर 'Status' को 'Draft' से 'Submit' में परिवर्तित कर तुरंत सुरक्षित करना होगा।
प्रस्तुत	आवेदन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, परंतु उसका सत्यापन एवं अग्रेषण नहीं हुआ है।
सत्यापित	आवेदन का सत्यापन सत्यापन अधिकारी द्वारा कर दिया गया है तथा यह अग्रेषण अधिकारी के पास लंबित है।
अग्रेषित	आवेदन CCA तक पहुँच चुका है तथा किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

6. आवेदन के उपयोग से संबंधित संदेहों के समाधान एवं स्पष्टीकरण हेतु श्री टोजो डेविस, अधीक्षक (स्थापना), मुख्यालय, कोच्चि (मोबाइल: 9447002124) से संपर्क किया जा सकता है।

7. अनुरोध प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, अर्थात् 10.03.2026, में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।

8. यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

|| अनुपस्थापित ||
टोजो डेविस / Tojo Davis
अधीक्षक / Superintendent
केंद्र का एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि-18
Central Tax & Central Excise, Kochi-18


ह/—
[डॉ. फारा ज़खरिया]
संयुक्त आयुक्त [का व स]

प्रतिलिपि समर्पित :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र।
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम/कोझिकोड/ऑडिट, कोच्चि/अपील, कोच्चि/सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय।
3. अपर महानिदेशक, डीआरआइ क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि/डीजीजीआइ क्षेत्रीय इकाई, कोच्चि/नासिन,कोच्चि।

प्रतिलिपि:

1. अपर /संयुक्त आयुक्त, तिरुवनंतपुरम/कोझिकोड/ऑडिट, कोच्चि/सीमा शुल्क (निवारक)/अपील, कोच्चि आयुक्तालय।
2. उप/सहायक आयुक्त, कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोझिकोड/ऑडिट, कोच्चि/सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के मंडलों के प्रभारी।
3. सभी डीडीओ , कोच्चि/तिरुवनंतपुरम/कोझिकोड/ऑडिट, कोच्चि/सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय।
4. मुख्यालय कार्यालय, कोच्चि के सभी अनुभागाध्यक्ष।
5. केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के सभी स्टाफ एसोसिएशनों के महासचिव।
6. अधीक्षक, सिस्टम्स, मुख्यालय, कोच्चि (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)।
7. सूचना पट्ट, मुख्यालय कार्यालय, कोच्चि।



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
 कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/15/2025-ESTT.

Date: As e-signed

ORDER No. 01/2026

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & posting in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name of the Officer (Shri.)	Date of Birth	From	To
1.	Robin Goyal	20.06.1985	UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Kakkanad Division

- The officer is to be relieved from his present place of posting immediately.
- No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting.
- This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

Digitally signed by

Farah Zachariah

Date: 06-01-2026

07/08/2025 [Dr. Farah Zachariah]

Joint Commissioner [P&V]

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

done
RTK

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kakkanad Division.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Hqrs Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi – for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 2/2026

**Sub: Transfer and postings in the cadre of Stenographer Grade-II –
 Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg**

The following transfer and postings in the cadre of Stenographer Grade-II are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri/Smt.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	Shikha Malhotra	25.11.1991	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Commissioner's Unit, Hqrs Kochi
2.	Ritik Kumar	16.04.2002	Commissioner's Unit, Hqrs Kochi with additional charge in JC (Audit/Legal)'s Unit, Hqrs Kochi	JC (Audit/Legal)'s Unit, Hqrs Kochi

- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Digitally signed by
 Maya Kurian
 Date: 06-01-2026
 17:12:28

Maya Kurian

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned).

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
2. **The Joint Commissioner (Audit/Legal), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems/Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/39/38/2020-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 4/2026

Sub: Voluntary retirement from service in respect of Shri. Jagadeesh Pillai, Private Secretary - Reg.

In terms of the provisions of clause (a) under sub-rule (1) of Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972, the Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi is pleased to permit **Shri. Jagadeesh Pillai, Private Secretary**, Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin, to retire voluntarily from Government Service with effect from **01.02.2026** subject to all relevant conditions as applicable to Government servants under Voluntary Retirement Scheme pursuant to his representation.

2. All dues in respect of Shri. Jagadeesh Pillai, Private Secretary, pending if any, may be recovered from his retirement benefits as per rules.

Digitally signed by
 Maya Kurian
 Date: 19-01-2026
 15:14:36

[Maya Kurian]
 Deputy Commissioner [P&V]

To

Shri. Jagadeesh Pillai,
 Private Secretary

CPD, Trivandrum,

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Deputy Commissioner (P&V), CCP Hqrs, Cochin – (He may obtain No dues certificate from AO (DDO)/Central Excise Co-operative Society, at the time of relieving on Voluntary Retirement).**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay and Accounts Officer, CCP Hqrs, Cochin.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Vig), CCP Hqrs, Cochin.**
4. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
5. **The Superintendent (Vig), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
6. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi – for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 5/2026

**Sub: Transfer and Postings in the grades of Havaldar and Head Havaldar-
Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg.**

The following transfer and postings in the grades of Havaldar and Head Havaldar are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	Date of birth	Transferred	
			From	To
1.	Mohanani E.V., Head Havaldar	31-05-68	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
2.	Harshan P.R., Head Havaldar	12-02-69	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
3.	Sreeraj P., Head Havaldar	20-03-68	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate
4.	Anil Kumar M.G., Head Havaldar	20-05-66	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate
5.	Chandran P.S., Head Havaldar	20-05-70	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

6.	Johnson P.J., Head Havaladar	24-05-66	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate
7.	Ravindran M.L., Head Havaladar	08-04-71	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissioneate
8.	Unnikrishnan M.T, Head Havaladar	22-04-66	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
9.	Sreekumar M.K., Head Havaladar	15-05-68	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissioneate
10.	Veena MJ, Havaladar	20.09.96	(Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissioneate
11.	Baiju S., Head Havaladar	23-05-68	(Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate
12.	K. Ananda, Head Havaladar	21-12-68	(Airport/I&E, Kannur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissioneate
13.	Sasi P.M., Head Havaladar	30-05-68	(Airport/I&E, Kannur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissioneate
14.	Prasanth P.R., Havaladar	25.05.72	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissioneate	Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
15.	Baiju M.P., Havaladar	30.05.71	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissioneate	Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
16.	Mohammed Sherif M.H., Havaladar	18.04.71	Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin	Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
17.	Manoj P, Havaladar	20.12.68	Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Commissionerate	Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

18.	Selvam K., Head Havaldar	02-05-67	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
19.	Dileepan P, Head Havaldar	10-05-69	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
20.	Hyder Hashim V.P, Head Havaldar	11-03-71	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
21.	Suresh Babu P., Head Havaldar	03-05-69	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
22.	Kamaruddeen P., Havaldar	05-10-70	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
23.	Abijith K Prasad, Havaldar	02.04.99	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	Airport/UB/I&E, Karipur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
24.	Ansari K M, Havaldar	25.05.71	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Airport/UB/I&E, Thiruvananthapuram) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
25.	A.V. Anil Kumar, Havaldar	31.05.83	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Airport/I&E, Kannur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin
26.	Abhishek Tiwari, Havaldar	07.09.97	Central Tax & Central Excise, Kozhikode Commissionerate	Airport/I&E, Kannur) Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin

2. The posting to Air Customs formations are **subject to vigilance clearance of the officers as on date**. Before relieving the officers to the respective formations [i.e., Airport], the competent authority shall ensure that the officers are clear from vigilance angle for the purpose. The officers posted to Airports are for a period of 1 (One) year without prejudice to the right of the Department to transfer them earlier on administrative exigencies.

3. Supervisory officers shall ensure that the officers are relieved from their previous post only after proper relieving/handing over notes are mutually exchanged so as to ensure smooth transition. The officers are to be relieved from their present place of posting by **23.01.2026** and to join their new place of posting latest by **30.01.2026**. Supervisory officers will be held responsible if the officers are not getting relieved within the stipulated time.

4. No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting. All representations received as on date have been disposed off.
5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
6. The controlling officers are to report compliance by 06.02.2026.
7. Hindi version follows.

Digitally signed by
Maya Kurian
Date: 14-01-2026
12:44:23

[Maya Kurian]
Deputy Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
3. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram.**
4. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kozhikode.**
5. **The Commissioner of Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**

Copy to:

1. **All Deputy/Assistant Commissioners in Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
4. **The Superintendent (Vig./ Headquarters), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode/ Customs (Preventive) Commissionerate, Cochin.**
5. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/27/2024-ESTT.

Date: As e-signed

ORDER No. 06/2026

**Sub: Transfer & Postings in the cadres of Superintendent & Inspector,
Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.**

The following transfer & postings in the cadres of Superintendent & Inspector of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name & Designation of the Officer (Shri.)	Date of Birth	From	To
1.	Arvind Gulia, Superintendent	24.10.1986	On joining after completion of loan tenure	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi
2	Mobin Babu, Inspector	05.10.1988	On joining after completion of deputation tenure	Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin
3.	Rahul Sankar, Inspector	20.03.1995	On relief from DRI Zonal Unit, Kochi	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Thiruvananthapuram

2. The officers are to be relieved from their present place of posting immediately.
3. It should be ensured that the IPR/Intimation files of the officers transferred to new commissionerates should be updated and forwarded to the respective commissionerates.
4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.

5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax , Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
6. The controlling officers are to report compliance by 28.01.2026.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 23-01-2026
15:47:24
[Farah Zachariah]
Joint Commissioner

To:

The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram Commissionerate**
3. **The Commissioner of Customs Preventive, Cochin.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Thiruvananthapuram/Custom Preventive, Kochi.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi/ / Thiruvananthapuram/Custom Preventive.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/31/2020-Estt.

Date: As E-signed

ORDER No. 7/2026**Sub: Promotion to the grade of Assistant Sub-Inspector (Weapons) – Reg.**

The following Head Havaldar is hereby promoted as Assistant Sub-Inspector (Weapons), Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial level-3 (Rs.21,700-69,100) plus allowance as may be sanctioned by the Government of India from time to time, with effect from the date of joining the promoted post.

Sl. No.	Name (Shri.)	Date of Birth	Present Commissionerate
1.	Prasanna Kumar A	28.4.1966	Thiruvananthapuram Commissionerate

2. The Officer should join the promoted post **on or after 01.02.2026 and not later than 13.02.2026**, failing which this order will be treated as cancelled. Refusal, if any, should be submitted in writing immediately. The Officer will have to exercise option for pay fixation in terms of Department of Personnel & Training O.M. dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of joining the promoted post. The option once exercised shall be final.

3. The compliance report by the Controlling Officer/officer concerned regarding joining/non-joining of the officer should be sent to this office by 18.02.2026.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 20-01-2026
18:01:53
(Farah Zachariah)
Joint Commissioner (P&V)

To

The Individual (Through the supervisory officer concerned).

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Kozhikode/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**
4. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Audit Kochi.**
5. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Appeals Kochi**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer/ Administrative Officer (DDO), Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram.**
2. **The Superintendent (Vig.), Central Tax & Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram.**
3. **The Superintendent (System), Central Tax & Central Excise, Kochi – for uploading in website.**
4. **Official Language Section – for Hindi Version.**
5. **The Secretary, Kerala Central Excise Group 'C' Officers Association, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
 कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/24/2022-ESTT

Date: As e-signed

ORDER NO: 08/2026

**Sub:- Grant of Non-functional upgradation to Superintendent –
 Reg.**

The following Superintendents have been granted non - functional upgradation in GP of Rs.5400/- (Level 9 of the pay matrix) on completion of 4 years from the date of joining as Superintendent.

Sl.No.	Name (Shri./Smt.)	Date of joining as Superintendent on Promotion	Date of Granting NFU
1	KURIEN MATHEW	01.03.2021(AN)	02.03.2025
2	AKHIL T. K.	22.10.2021	22.10.2025

The officer will have to exercise option for pay fixation in terms of DOP&T OM dated 26.09.1981, 09.11.1987 and 28.11.2019 as amended from time to time within one month from the issue of this order in the prescribed format.

Digitally signed by
 Farah Zachariah
 Date: 03-02-2026
 17:46:51

[Dr. Farah Zachariah]
 Joint Commissioner (P&V)

To

The Individuals (through controlling officer concerned)

Copy to:

- 1. The Assistant Commissioner, Central Tax and Central Excise, Kakkanad Division.**
- 2. The Assistant Commissioner, Central Tax and Central Excise, Ernakulam Division.**
- 3. The Pay & Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Headquarters, Kochi.**
- 4. The Administrative Officer, Central Tax and Central Excise, Headquarters, Kochi.**
- 5. The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi – for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
 कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/27/2024-ESTT.

Date: As e-signed

ORDER No. 09/2026

Sub: Transfer & Posting in the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate - reg.

The following transfer & posting in the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name of the Officer (Shri.)	Date of Birth	From	To
1.	Arvind Gulia	24.10.1986	UoT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Kakkanad Division

- The officer is to be relieved from his present place of posting immediately.
- No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting.
- This is issued with the approval of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

Digitally signed by

Farah Zachariah

Date: 02-02-2026

[Signature] Farah Zachariah

Joint Commissioner [P&V]

To:


The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kakkanad Division.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Hqrs Kochi.**
5. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi – for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
 कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/24/2022-ESTT

Date: As e-signed

ORDER NO: 10/2026

Sub:- Grant of Non-functional upgradation to Shri. Prakash K P, Superintendent (Retd) –Reg.

Shri. Prakash K.P. (D.O.B. – 11.11.1962), Superintendent, who retired on 30.11.2022, had joined the department as Inspector on 23.09.1988, and was granted first financial upgradation in pay scale 7500-250-12000/- w.e.f. 23.09.2000 vide Cochin Commissioner's Order No. 58/2000 dated 10.04.2000. The officer was granted non-functional upgradation in Grade pay of RS. 5400/- w.e.f. 23.09.2008.

2. Since the officer had completed 4 years in the grade pay scale of Rs.7500-250-12000 (pre revised)/- (PB-2- Rs.4800/-) on 01.01.2006, he was eligible for **Non-functional upgradation in GP of Rs. 5400/- (Level-9 of the Pay Matrix)** in accordance with the extant instructions of the Government of India and in compliance with the orders of the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Ernakulam Bench.

3. The pay of the officer shall be re-fixed in the **Grade Pay Rs. 5400/- (Level-9)** w.e.f. **01.01.2006**. The actual monetary benefits, if any, shall be regulated as per rules.

4. Consequent upon the above, the third MACP as well as pensionary benefits shall be revised in accordance with the relevant rules and instructions.

5. The officer will have to exercise option for pay fixation in terms of DOP&T OM dated 26.09.1981, 09.11.1987 and 28.11.2019 as amended from time to time within one month from the issue of this order in the prescribed format.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 25-02-2026
18:10:42
[Dr. Farah Zachariah]
Joint Commissioner (P&V)

To

The Individual

Copy to:

1. **The Pay & Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Headquarters, Kochi.**
2. **The Administrative Officer, Central Tax and Central Excise, Headquarters, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems), Central Tax & Central Excise, Hqrs Kochi – for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 11/2026

**Sub: Transfer and posting in the cadre of Executive Assistant –
 Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - Reg**

The following transfer and posting in the cadre of Executive Assistant is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	Lav Singh	10.09.1984	On repatriation from CGST, Central Excise & Customs, Bhopal Zone	Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate

- No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting.
- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Digitally signed by
 Maya Kurian
 Date: 19-03-2026
 10:13:41

[Maya Kurian]
 Deputy Commissioner [P&V]

To

The individual.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems/Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/16/2025-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 12/2026

Sub: Transfer and posting in the grade of Tax Assistant – Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.

The following transfer and posting in the grade of Tax Assistant is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of Birth	Posted	
			From	To
1.	Raviprasad P.V.	28.02.1971	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Ernakulam Division

2. No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting.
3. This is issued with the approval of the competent authority.
4. Hindi version follows.

Digitally signed by
 Maya Kurian
 Date: 13-02-2026
 09:34:44

[Maya Kurian]
 Deputy Commissioner [P&V]

To

The individual.

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**
2. **The Commissioner of Customs (Preventive), Cochin.**

Copy to:

1. **The Assistant Commissioner, Central Tax and Central Excise, Ernakulam Division.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems/Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/17/2025-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 13/2026

**Sub: Transfer and postings in the grades of Head Havaldars/Havaldar
- Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg.**

The following transfer and postings in the grades of Head Havaldars/Havaldar are hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri./Smt.)	Date of Birth	Posted	
			From	To
1.	Veena M J	20.09.1996	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Hqrs, Kochi
2.	Anil Kumar M G	20.05.1966	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Ernakulam Division
3.	Ravindran M L	08.04.1971	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Ernakulam Division
4.	Harshan P R	12.02.1969	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Aluva Division
5.	Chandran P S	20.05.1970	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Thrissur Division

2. No representations shall be entertained from the officers before their joining the new place of posting.
3. This is issued with the approval of the competent authority.
4. Hindi version follows.

Digitally signed by
Maya Kurian
Date: 13-02-2026
09:39:38

[Maya Kurian]
Deputy Commissioner [P&V]

To


The individuals.

Copy submitted to:

1. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Deputy/Assistant Commissioners, Central Tax and Central Excise, Ernakulam/Aluva/Thrissur Divisions.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems/Vigilance/Headquarters), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/15/2025-ESTT

Date: As e-signed

ORDER No. 14/2026

Sub: Transfer & Postings in the cadre of Inspector, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone - reg.

The following transfer & postings in the cadre of Inspector of Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone is hereby ordered with immediate effect.

Sl No	Name of the Officer (Shri.)	Date of Birth	From	To
1.	Dinesh Mirdha	07.07.1992	On repatriation from deputation	Central Tax & Central Excise Audit Commissionerate, Kochi
2.	Gaurav Jaimini	02.07.1989	On re-joining within lien period	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kozhikode
3.	Rahul Vats	04.09.1991	On joining after completion of loan tenure	Central Tax & Central Excise Commissionerate, Kochi

2. The officers are to be relieved from their present place of posting immediately.

3. It should be ensured that the IPR/Intimation files of the officers transferred to new commissionerates should be updated and forwarded to the respective commissionerates.

4. No representation shall be entertained from any officer before his/ her joining the new place of posting.
5. This is issued with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
6. The controlling officers are to report compliance by 27.03.2026.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 19-03-2026
17:01:05

[Dr. Farah Zachariah]
Joint Commissioner (P&V)

To:


The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/ Kozhikode/Audit Commissionerate**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Hqrs. Kochi/ Kozhikode/Audit.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi /Kozhikode/Audit.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

Date: As e-signed

ORDER No. 15/2026

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone – Reg.

Shri. Amit Khatri (D.O.B – 19.09.1986), Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby promoted on or after 01.03.2026 on regular basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

2. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 & 344/2024 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

3. The officer is promoted to the grade of Superintendent in an officiating capacity until his juniors are promoted to the grade of Superintendent, after which that newly promoted officer will be considered to be in officiating capacity. A total of six officers of unreserved category who are junior most in seniority will be in officiating basis at all times until further orders.

4. The officer can assume the charge immediately and not later than 10.03.2026.
5. The compliance report about joining/non-joining of the officer should be sent to this office by 13.03.2026.
6. This is issued with the approval of the Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
7. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 02-03-2026
10:30:18

[Dr. Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

1. **The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.**

Copy to:

1. **The Addl. Director (Admn.), Directorate General of GST Intelligence, West Block-VIII, Wing No.6, 2nd Floor, R. K. Puram, New Delhi – 110066.**
2. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Kochi Commissionerate.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi**
4. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi Commissionerate.**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/1/2020-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 16/2026**Sub: Confirmation in the grade of Tax Assistant - Reg**

In accordance with the instructions contained in O.M. No.28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019 and O.M. No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training), the following Tax Assistants of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are confirmed in their grade with effect from the dates shown against their names:

Sl. No.	Name of the officer (S/Shri./Smt./Kum.)	Date of birth	Date of confirmation
1	JOOLI MEENA	01.01.1994	05.03.2025
2	NEERAJA S. NAIR	23.04.1999	13.06.2025
3	VYSHNAVI E.K.	09.04.1999	26.09.2025
4	DRUPAD NAIR	21.05.1997	27.10.2025
5	ABHINAV KUMAR	07.03.1995	07.12.2025
6	RINKESH KUMAR BEELWAL	19.12.1997	30.10.2025
7	ASHWANI KUMAR	15.01.1997	05.12.2025

2. Necessary entries may be made in the service book of the individuals.

3. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 24-03-2026
17:49:40
[Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit/Appeals.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/2/2020-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 17/2026**Sub: Confirmation in the grade of Stenographer Grade-II - Reg**

In accordance with the instructions contained in O.M. No.28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019 and O.M. No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training), the following Stenographers Grade-II of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are confirmed in their grade with effect from the dates shown against their names:

Sl. No.	Name of the officer (S/Shri./Smt.)	Date of birth	Date of confirmation
1	AISWARYA S. NAIR	03.01.1998	01.12.2025
2	ANANDU R.S.	09.07.1998	01.12.2025

2. Necessary entries may be made in the service book of the individuals.
3. Hindi version follows.

Digitally signed by
 Farah Zachariah
 Date: 24-03-2026
 16:29:51

[Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

- 1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
- 2. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Thiruvananthapuram.**

Copy to:

- 1. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 2. The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
- 3. The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(39)/24/2022-ESTT

Date: As e-signed

ORDER NO: 18/2026

**Sub:- Grant of Non-functional upgradation to Superintendent –
Reg.**

In pursuance to Order in OA No 180/862/2018 dated 26.02.2019 of the Hon'ble CAT, Ernakulam Bench and CBIC letter F.No. A-23011/11/2019-Ad.IIA dated 23.05.2019 and in pursuance to Order in MA No. 180/00538/2022 (in OA No 180/862/2018) dated 08.09.2023 of the Hon'ble CAT, Ernakulam Bench and CBIC letter F.No. A23011/44/2020-Ad.IIA-Part(2) dated 29.02.2024 and Circular dated 11.04.2024 issued by Additional Commissioner (P&V), Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate, Thiruvananthapuram Zone in file no. GEXCOM/II/(39)/42/2020- Estt, the following Superintendent is granted non - functional up gradation to the GP of Rs.5400/- (Level 9 of the pay matrix) on completion of 4 years from the date of grant of MACP in GP of Rs.4800/-.

Sl. No.	Name (Shri./Smt.)	Date of joining as Superintendent	Date of granting MACP	1 st /2 nd /3 rd MACP	Date from which NFU is granted
1	DEEPESH G.	22.10.2021	19.11.2020	1 st	19.11.2024

Further, the following Superintendent has been granted non - functional upgradation in GP of Rs.5400/- (Level 9 of the pay matrix) on completion of 4 years from the date of joining as Superintendent.

Sl.No.	Name (Shri./Smt.)	Date of joining as Superintendent on Promotion	Date of Granting NFU
1	P. K. SREEJI	20.12.2020	20.12.2024

The officers will have to exercise option for pay fixation in terms of DOP&T OM dated 26.09.1981, 09.11.1987 and 28.11.2019 as amended from time to time within one month from the issue of this order in the prescribed format.

Digitally signed by
Farah Zachariah

Date: 26-03-2026
11:16:21

[Dr. Farah Zachariah]
Joint Commissioner (P&V)

To

The Individuals (through controlling officer concerned)

Copy to:

1. **The Pay & Accounts Officer, Central Tax and Central Excise, Headquarters, Kochi.**
2. **The Administrative Officer, Central Tax and Central Excise, Headquarters, Kochi.**
3. **The Assistant Commissioner of Customs (Estt.), Custom House, Willingdon Island, Cochin.**
4. **The Superintendent of Police (Estt.), NIA, HQ, New Delhi**
5. **The Superintendent (Systems) – for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/39/2022-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 19/2026

**Sub: Transfer and posting in the cadre of Executive Assistant -
 Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate - Reg**

The following transfer and posting in the cadre of Executive Assistant is hereby ordered with immediate effect:

Sl. No	Name (S/Shri.)	Date of birth	Posted	
			From	To
1.	Lav Singh	10.09.1984	UOT to Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate	Accounts (Paybill) Section, Hqrs Kochi

- No representation shall be entertained from the officer before his joining the new place of posting.
- This is issued with the approval of the competent authority.
- Hindi version follows.

Digitally signed by
 Maya Kurian
 Date: 25-03-2026
 16:43:25

[Maya Kurian]
 Deputy Commissioner [P&V]

To

The individual.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(11)/2/2021-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 20/2026**Sub: Confirmation in the grade of Havaldars - Reg**

In accordance with the instructions contained in O.M. No.28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019 and O.M. No. 28020/1/2010-Estt(C) dated 21.07.2014 of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel & Training), the following Havaldars of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone are confirmed in the grade with effect from the dates shown against their names:

Sl. No.	Name of the officer (S/Shri./Smt./Kum.)	Date of birth	Date of confirmation
1	Ajitha V P	06-05-1969	02-06-2025
2	Murali K.	05-05-1966	02-06-2025
3	Vasanth Karuvalam	24-04-1966	05-06-2025
4	Shyamalatha K V	15-03-1970	05-06-2025
5	Sanoj	23-06-1997	27-07-2025
6	Rama Krishna Mekala	14-05-1998	21-11-2025
7	Bobin Pavithran	29-04-1998	31-07-2025
8	Veena M J	20-09-1996	03-11-2025

9	Akhila Vijayan	19-12-1996	26-07-2025
10	Joshua Sunil Oommen	09-09-2000	01-08-2025
11	Abin Sabu	16-11-1998	01-08-2025
12	Ajay Alex	02-11-1998	01-08-2025
13	Tharaparambil Vijayarajan Alkesh Raj	15-02-2000	01-08-2025
14	Sourav T.P.	28-03-1998	01-08-2025
15	Pavithran A.K *	01-01-1966	25-09-2025
16	Radhamany T.R.	07-05-1972	25-09-2025
17	Geetha N.M.	26-05-1968	25-09-2025
18	Beevi Kunju K.H.	18-05-1971	25-09-2025
19	Latha K.K.	28-03-1968	25-09-2025
20	Prasanth P.R.	25-05-1972	25-09-2025
21	Thadevous K.V.	01-02-1968	25-09-2025
22	Selvaraj B.M.	30-05-1968	25-09-2025
23	Parvathy A.	10-07-1966	25-09-2025
24	Kumari P.C.	16-08-1966	25-09-2025
25	Molly V.K.	20-05-1967	25-09-2025
26	Baiju M.P.	30-05-1971	25-09-2025
27	Sayan K.M.	21-04-1966	25-09-2025
28	Prabha N.P.	15-03-1968	01-11-2025
29	Raju T.K.	01-03-1967	03-11-2025
30	Karthyani C	10-04-1967	03-11-2025
31	Sundharan M.	10-03-1967	02-11-2025
32	Sankaran Kutty K.	15-04-1968	02-11-2025
33	Rugmani C.	15-05-1967	02-11-2025
34	Mohammed Sherif M.H.	18-04-1971	01-11-2025
35	Manoj P	20-12-1968	02-11-2025
36	Ansari K M	25-05-1971	02-11-2025
37	Rema L.	11-05-1967	02-11-2025
38	Gireesh Kumar S	15-05-1969	02-11-2025
39	Jayakumar K.	12-05-1969	01-11-2025 (A/N)

40	Ambili Raj B	30-05-1973	02-11-2025
41	Sajikumar G.	30-05-1971	02-11-2025
42	Dane Dev Ambadan	20-12-1987	29-12-2025
43	Reshma C.B.	16-04-1988	23-01-2026
44	Sajith C.S.	21-12-1988	24-01-2026
45	Jishnu K.	04-05-1998	23-01-2026
46	Vineetha T.V.	01-03-1979	24-01-2026
47	Santhosh S.	25-05-1984	24-01-2026

* Retired on 31.01.2025

2. Necessary entries may be made in the service book of the individuals.
3. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 07-04-2026
10:57:04

[Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

The individuals (Through the supervisory officers concerned)

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit/Appeals.**

Copy to:

1. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/36/2020-ESTT

Date: As e-signed

ORDER No. 21/2026

Sub: Promotion to the cadre of Superintendent, Central Tax & Central Excise, Thiruvananthapuram Zone – Reg.

Shri. Ravindra Maruti Palkar (D.O.B – 16.08.1982), Inspector of Central Tax & Central Excise is hereby promoted on regular basis to the cadre of Superintendent of Central Tax & Central Excise, Group 'B' post, in Level-8 of the Pay Matrix plus such allowances as may be applicable with effect from the date of assuming charge of the higher post and until further orders.

2. The promotion of the Inspectors to the grade of Superintendent is subject to the final outcome of SLP No. 20810/2012 filed by the Department against High Court Order dated 28.03.2012 in OP (CAT) No. 4305/2011, OP (CAT) No. 999/2012, OP (CAT) No.998/2012, OP (CAT) No. 968/2012, OA Nos. 523/2023, 527/2023, 543/2023 & 344/2024 of CAT (Ernakulam Bench) and the judgment in Civil Appeal arising out of SLP(C) No: 16161/2018 in Hariharan vs Harshavardhan case now pending with the Larger Bench of the Hon'ble Supreme Court and any other pending cases in concerned Courts/Tribunals.

3. The officer is promoted to the grade of Superintendent in an officiating capacity until his juniors are promoted to the grade of Superintendent, after which that newly promoted officer will be considered to be in officiating capacity. A total of six officers of unreserved category who are junior most in seniority will be in officiating basis at all times until further orders.

4. The officer can assume the charge on or after 01.04.2026 and not later than 10.04.2026.
5. The compliance report about joining/non-joining of the officer should be sent to this office by 13.04.2026.
6. This is issued with the approval of the Commissioner, Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.
7. Hindi version follows.

Digitally signed by

Farah Zachariah

Date: 26-03-2026

14:10:59

[Dr. Farah Zachariah]

Joint Commissioner [P&V]

To

1. **The Individual (Through the Supervisory Officer concerned)**

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi/Kozhikode Commissionerate.**

Copy to:

1. **The Chief Accounts Officer/Pay & Accounts Officer, Central Tax & Central Excise Kochi/Kozhikode Commissionerate.**
2. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi**
3. **The Administrative Officer (DDO), Superintendent (Confl/Vig.), Kochi Commissionerate.**
4. **The Superintendent (Systems) – for uploading in website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/1/2024-Estt

Date: As E-signed

ORDER NO. 22/2026

Sub: Notional promotion to the cadre of Stenographer Grade-II – Reg.

Shri. Noushad P.H. (presently working as Inspector) is notionally promoted to the cadre of Stenographer Grade-II (erstwhile) with effect from 01.04.2009, i.e., the date of joining as Stenographer Grade-II (erstwhile) of his immediate junior, Shri. Hameed K.K.

2. The officer's seniority in the cadre of Stenographer Grade-II (erstwhile) is assigned immediately below Shri. Yaser Arafath K. and above Shri. Hameed K.K.
3. The officer is entitled for arrears of pay, if any, for the period of notional promotion preceding the date of actual promotion.
4. The officer will have to exercise the option for pay fixation in terms of DoPT OMs dated 26.09.1981, 05.07.1999 and 27.07.2017 within one month from the date of issue of this order. Option once exercised shall be final. If the officer has already been granted financial upgradation under MACP Scheme, then he shall not be entitled for pay fixation benefits now.
5. Hindi version follows.

Digitally signed by
 Farah Zachariah
 Date: 27-03-2026
 17:10:01

[Dr. Farah Zachariah]
 Joint Commissioner [P&V]

To

The individual (Through the supervisory officer concerned)

Copy submitted to:

- 1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
- 2. The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

- 1. The Superintendent (Vig/Systems), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
- 2. The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
- 3. The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise, Hqrs Kochi.**
- 4. The Administrative Officer, Central Tax and Central Excise, Idukki Division.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX & CENTRAL EXCISE
 केन्द्रीय राजस्व भवन, CENTRAL REVENUE BUILDING
 आई .एस .प्रेस रोड, कोच्चि, I.S. PRESS ROAD, KOCHI-682 018

E-mail: cexcochi@nic.in

Fax: 0484-2390608

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/43/2020-Estt-Part(1)

Date: As E-signed

ORDER NO. 24/2026

(DGHRD Appointment Order No. Thirvananthpuram GST & CX/Kochi/ASSTT.HALWAI-CUM-COOK(CANTEEN)/103768)

Sub: Appointment to the grade of Assistant Halwai-cum-Cook – Reg

On acceptance of this Central Tax and Central Excise Commissionerate's Offer of appointment of even no. dated 16.03.2026, **Shri. Prasanda Kumar P.S.**, a candidate recommended for appointment to the post of Assistant Halwai-cum-Cook in Central Tax and Central Excise Department, Thiruvananthapuram Zone, under **UR/ESM category**, is appointed as Assistant Halwai-cum-Cook in Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone on temporary capacity, subject to verification of character and antecedents, in Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19,900–63,200) plus such allowances as may be sanctioned by the Government of India with effect from **30.03.2026 (F.N)**.

2. Shri. Prasanda Kumar P.S. is informed that he will be on probation for a period of two years from the date of appointment. The Appointing Authority may, if he thinks fit, extend the period of probation. The candidate has to undergo mandatory induction training, which is a pre-requisite for completion of probation.

3. If on the expiration of the period of probation or any extension thereof, as referred to in Para 2 above, the appointing authority is of the opinion that the above candidate is not fit for permanent absorption or if at any time during such period of probation or extension thereof, is satisfied that he will not be fit for permanent absorption on the expiration of such period or extension, the appointing authority may terminate his services or pass such orders as he thinks fit.

4. Hindi version follows.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 30-03-2026
13:24:20

[Dr. Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

To

Shri. Prasanda Kumar P.S.
Kadampattu Tharayil
Padinjattammuri
Sooranad North PO
Kollam - 690561.

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Superintendent (Vigilance), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
2. **The CAO/PAO/AO (DDO), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi.**
4. **The Superintendent (Systems), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi - for uploading on website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(13)/3/2020-ESTT

Date: As e-signed

ESTABLISHMENT CIRCULAR

Attention is invited to the following letters.

Sl. No.	File No. and Date	Subject
1.	F.No. DGGI/II/6/2023-ADMN-O/o Pr ADG-DGGI-ZU-LUCKNOW dated 23.12.2025 of the Director General, Directorate General of GST Intelligence, Lucknow Zonal Unit.	Preparation of panel for appointment of Intelligence Officer on Loan basis in the Directorate General of GST Intelligence, Lucknow Zonal Unit, Lucknow and its Regional Unit Agra and Kanpur– Reg.
2.	F.No. NACIN/II/13/15/2020-ACCTS-O/o ADG- NACIN- ZC-BHOPAL dated 26.12.2025 of the Additional Director General, NACIN, Zonal Campus, Bhopal.	Willingness for the post of Administrative Officer and Inspector in the Zonal Campus of National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics (NACIN), Bhopal – reg.

Copy of the above mentioned letters may be downloaded from the website of Kochi Commissionerate – <http://www.cenexcisekochi.gov.in> for information.

Digitally signed by
Maya Kurian
Date: 12-01-2026
16:39:43 [Maya Kurian]
Deputy Commissioner [P&V]

Copy submitted to:

1. **The Principal Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Joint Commissioner (P&V), Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant/Deputy Commissioners of all Divisions under Kochi Commissionerate.**
2. **All Section Heads in Headquarters Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems) for uploading in the website.**
4. **Notice Board, Hqrs. Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2026-ESTT

CIRCULAR

Sub: AGT 2026 - Updation of data in eSevanidhi App by the officers under Thiruvananthapuram Zone – reg.

All the officers of Group B and Group C cadres working under Thiruvananthapuram Zone are requested to update their personal data and history of postings in eSevanidhi App (esevanidhi.in/login) immediately. For logging in to the application, the officer can use his PAN as his username and the password created earlier. For newly registered officers, the default password is 'cca2024'. It is necessary for the officers to change their password using the 'Change Password' option available in the top right drop down menu of the login screen.

2. Since the personal data and history of postings of officers have been migrated from the data available with the Department, all officers were requested to verify their personal data and history of postings during the time of AGT 2022 and make necessary changes, wherever needed. However, while processing the applications for Annual General Transfers in subsequent years, it was noticed that few officers had not updated their data properly. Hence all the officers are requested to go through their personal data and history of

postings and update the same properly. In the fields where 'Migrated' is shown, correct data must be entered from the drop-down menus available. The details of different drop-down menus under the 'Officer' module are given in the Annexure to this circular. **After updation/addition of data, the officer should thoroughly verify the entire data for its correctness.**

3. After editing and updating the data, the same may be submitted for verification to the Verification Officer who will be the Administrative officer of the concerned Division/Headquarters. For submitting the data for verification, the officer has to go to the 'AGT' module and select 'Message' in drop down. Click on 'Add Message' button, select the concerned verification officer from the drop-down menu, type a message requesting for verification and 'Save' the same. If the name of the Administrative Officer is not available in the drop-down menu, the matter may be intimated to the Establishment Section of Kochi Commissionerate for updation.

4. The Administrative Officers will have to login using their login credentials and the verification requests received can be seen in the 'Verification' drop down menu of 'CCA' module. The requests received should be verified with the data in the service book of the officer for its veracity. If the officer from whom the request has been received is not under his/her charge or the same has not been properly updated, the request can be returned back to the officer. All the Administrative Officers are requested to get their details as well as the forwarding officer (Deputy/Assistant Commissioner of the concerned division/headquarter) details updated in the verification/forwarding modules.

5. The submission/verification of personal data and history of postings should be completed latest by 10.02.2026.

6. After completion of this verification process, the Annual General Transfer module will be activated for the officers for online filing of AGT proforma.

7. The officers and staff of Establishment/Systems Sections can be contacted by the officers for seeking support, if needed, for updation of personal data and history of postings.

8. Submitting false/wrong/incomplete data will be viewed seriously. Due diligence may be exercised by the officers in updation of data and the administrative officers while verification of the data.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 19-01-2026
14:32:42
(Dr. Farah Zachariah)
Joint Commisioner [P&V]

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone**
2. **The Principal Commissioner/Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi/ Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit, Kochi /Appeals, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
3. **The Additional Director General, DRI Zonal Unit, Kochi/DGGI Zonal Unit, Kochi/NACIN, Kochi.**

Copy to:

1. **The Additional/ Joint Commissioners of Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive)/Appeals, Kochi Commissionerate**
2. **The Deputy/ Assistant Commissioners in charge of Divisions of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
3. **The Assistant Director (OL), Central Tax and Central Excise Hqrs, Kochi**
4. **All DDOs of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/Appeals/ Customs (Preventive) Commissionerate**
5. **All Section Heads in Headquarters Office, Kochi**
6. **All General Secretaries of Staff Associations of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
7. **The Superintendent, Systems, Hqrs, Kochi (For uploading in website)**
8. **Notice Board, Hqrs. Office, Kochi.**

ANNEXURE

In the Officer module in the home screen of the application, the following drop-down modules are available

(i) Officer

The 'Edit Officer' button can be clicked for editing/entering the data. The 'First Name' field and the 'Last Name' field are mandatory fields. Out of the remaining fields, the following are mandatory.

- Mobile Number
- Designation
- Zone
- Commissionerate
- Division
- Range
- Category
- Cadre
- Home Town

The remaining fields are non-mandatory.

(ii) Personal

The 'Edit Personal' button can be clicked for entering the marital status and employment details of spouse.

(iii) Posting

History of Posting has been migrated from the old data available with the department. The officers have to verify each entry for their correctness and the details can be edited using the 'Edit' button available on the right-hand side of each row. The fields viz. Station, Designation, From date, To date, Cadre, Zone, Commissionerate, Division and Range can be edited by the officer. The details of new postings can be added using the 'Add Posting' button. The name 'Migrated' may be appearing in some fields which has not taken data from the old database and the same is to be changed with the correct names as applicable.

(iv) **Training**

The details of trainings attended can be added using the 'Add Training' button.

(v) **Promotion**

The details of promotions can be added using the 'Add Promotion' button.

(vi) **Awards**

The details of awards received can be added using the 'Add Award' button.

(vii) **Education**

The details of education qualifications can be added using the 'Add Education' button.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(13)/3/2020-ESTT-Part(I)

Date: As e-signed

ESTABLISHMENT CIRCULAR

Attention is invited to the following letters.

Sl. No.	File No. and Date	Subject
1.	DRI/II/13/DEP/4/2020-ADD/ J D-I-O/o ADG-DRI-ZU-KOLKATA dated 12.01.2026 of the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Kolkata Zonal Unit.	Preparation of panel for posting of Intelligence Officers in the Directorate of Revenue Intelligence, Kolkata Zonal Unit and its Regional and Sub-Regional Unit on Loan/ Deputation Basis – Reg.
2.	F.No. DGGI/II/3/APPT/2/2026-Gr B-O/o ADG- DGGI- ZU-PUNE dated 07.01.2026 of the Additional Director General, DGGI, Pune Zonal Unit.	Preparation of panel for appointment of Senior Intelligence Officer/Intelligence Officer on loan basis in the Directorate General of GST Intelligence, Pune Zonal Unit and its regional units in Goa and Kolhapur – reg.

Copy of the above mentioned letters may be downloaded from the website of Kochi Commissionerate – <http://www.cenexcisekochi.gov.in> for information.

Digitally signed by
Maya Kurian
Date: 27-01-2026
15:20:52

[Maya Kurian]
Deputy Commissioner [P&V]

Copy submitted to:

1. **The Principal Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.**
2. **The Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.**
3. **The Additional Commissioner (P&V), Central Tax & Central Excise, Kochi.**

Copy to:

1. **The Assistant/Deputy Commissioners of all Divisions under Kochi Commissionerate.**
2. **All Section Heads in Headquarters Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems) for uploading in the website.**
4. **Notice Board, Hqrs. Kochi.**

5



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(13)/3/2020-ESTT

Date: As e-signed

ESTABLISHMENT CIRCULAR

Attention is invited to the following letter.

Sl. No.	File No. and Date	Subject
1.	NACIN/II/3/POST/27/2021-ESTT of the O/o the DG NACIN FARIDABAD	Willingness for the post of Inspector in NACIN ZTI – Delhi (Faridabad Campus) on loan basis.

Copy of the above mentioned letter may be downloaded from the website of Kochi Commissionerate – www.cenexcisekochi.gov.in for information.

Digitally signed by

Maya Kurian

Date: 11-02-2026

09:31:39

[Maya Kurian]

Deputy Commissioner [P&V]

Copy submitted to:

1. The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone.
2. The Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.
3. The Additional Commissioner (P&V), Central Tax & Central Excise, Kochi.

Copy to:

1. **The Assistant/Deputy Commissioners of all Divisions under Kochi Commissionerate.**
2. **All Section Heads in Headquarters Kochi.**
3. **The Superintendent (Systems) for uploading in the website.**
4. **Notice Board, Hqrs. Kochi.**

6



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2026-Estt

Date: As e-signed

CIRCULAR No 2

Sub: Annual General Transfer (AGT), 2026 in Central Tax and Central Excise Commissionerates in Thiruvananthapuram Zone – reg.

In continuation to this office Circular dated 19.01.2026 regarding updation of data in eSevanidhi App, the following instructions are issued for submission of options by the officers for consideration in Annual General Transfer 2026.

2. The Annual General Transfer module has been activated in eSevanidhi App for the officers for online filling of AGT proforma. All officers are directed to submit their transfer/retention requests in the proforma which has made available in website '<http://esevanidhi.in>' for considering their cases in Annual General Transfer, 2026. After logging in to eSevanidhi application, the officer can access the AGT application from the AGT module available in the home screen. In the AGT module, the following drop down modules are available

(i) AGT

The representation for consideration in AGT 2026 can be given by the officers in this drop down module. After clicking on 'AGT', 'Add application' has to be selected to get access to the AGT proforma. Here the officers can give the following preferences:

- Option for Commissionerates, if willing for ICT
- Retention at the present station or option for other stations
- Reason for retention/request for specific station. Medical issues, if any, can be given here
- Option for location of Airports

- Whether worked in Airport/UB/ACC(I&E) previously
- Willingness for DGGI formations
- Willingness for DRI formations
- Willingness for NACIN Kochi
- Willingness for posting to Kavaratti Range, Lakshadweep UT

(ii) Past Applications

Here the officers can view their past AGT applications.

(iii) Submit Application

The officers can save the AGT application and make edit in the same. Once application is submitted, no edit can be made. After submit, the application automatically goes for verification.

3. All officers are directed to give their request online only; all representations received till date has been disposed of. **In case of officers who do not submit the transfer proforma, it will be presumed that they are willing to be posted anywhere under the jurisdiction of Thiruvananthapuram Zone.**

4. The options given in the transfer proforma will be taken into consideration while issuing the transfer orders. If officers are not choosing their options, it will be presumed that they can be considered for posting as per the availability of vacancies.

5. After verification, the Administrative Officer has to submit the application to the Forwarding Officer. The Forwarding Officer will be the Deputy/Assistant Commissioner of the respective Division/Headquarters who in turn shall forward the application to the CCA. While forwarding the application, the forwarding officer will have to certify the authenticity of claim by officers for retention/non-willingness for Airport postings on medical grounds, if mentioned by the officer. **The last date for filing of the AGT representations by officers is 10.03.2026.**

6. For resolution of doubts and clarification on the usage of the application the staff of Establishment Section, Headquarters, Kochi Commissionerate can be contacted.

7. This issues with the approval of the Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi Commissionerate.

**[Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]**

Copy submitted to:


Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 17-02-2026
10:18:29

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone**
2. **The Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit, Kochi /Appeals, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
3. **The Additional Director General, DRI Zonal Unit, Kochi/DGGI Zonal Unit, Kochi/NACIN, Kochi.**

Copy to:

1. **The Additional/ Joint Commissioners of Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive)/Appeals, Kochi Commissionerate**
2. **The Deputy/ Assistant Commissioners in charge of Divisions of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
3. **All DDOs of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
4. **All Section Heads in Headquarters Office, Kochi**
5. **All General Secretaries of Staff Associations of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
6. **The Superintendent, Systems, Hqrs, Kochi (For uploading in website).**
7. **Notice Board, Hqrs. Office, Kochi.**

7



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail:- cexcochi@nic.in

Phone: 0484-2390404

GEXCOM/II/(3)/2/2026-Estt

Date: As e-signed

REMINDER –I
(CIRCULAR Dt. 17.02.2026)

Sub: Annual General Transfer (AGT), 2026 in Central Tax and Central Excise Commissionerates in Thiruvananthapuram Zone – Data regarding non-compliance - reg.

Please refer to this office Circular dated 17.02.2026 regarding activation of Annual General Transfer (AGT) 2026 proforma in e-Sevanidhi portal. As per the Circular, the last date for submission of options/requests is 10.03.2026.

2. The status of submission of AGT applications as per the portal as on 04.03.2026 is as follows:

Sl No	Status	No of applications
1.	Total Applications	448
2.	Fully Filed	8
3.	Verification pending	95
4.	Forwarding pending	161
5.	Draft	184

3. It is reiterated that if officers do not submit the AGT application within stipulated time on the portal, it will be presumed that they are willing to be posted anywhere under the jurisdiction of Thiruvananthapuram Zone.

4. All the Forwarding Officers and Verification Officers are requested to ensure that the officers under their charge have filed their AGT application.

5. All officers are requested to verify the status of their application in 'AGT > Message' module and check whether the status is 'Draft', 'Submitted', 'Verified' or 'Forwarded'. It is seen that a total number of 184 applications are lying in the 'Draft' mode as on 04.03.2026. The actions warranted in respect of the pending applications are as follows:

Status	Action
Draft	Officers have filled the AGT proforma and saved as draft, but the same has not been submitted to the verification officer. In such cases, the officer has to open the draft application, change the 'Status' from 'Draft' to 'Submit' and save the same immediately.
Submitted	The application has been submitted by the officer, but it has not been verified and forwarded.
Verified	The application has been verified by the Verification Officer and is pending with the Forwarding Officer.
Forwarded	The application has reached the CCA and no action is warranted.

6. For resolution of doubts and clarification on the usage of the application, Shri. Tojo Davis, Superintendent (Establishment), Headquarters, Kochi (Mob: 9447002124) can be contacted.

7. No further extension will be given to the last date i.e. 10.03.2026 for submission of request

7. This issues with the approval of the competent authority.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 04-03-2026
16:54:21

[Dr. Farah Zachariah]
Joint Commissioner [P&V]

Copy submitted to:

1. **The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram Zone**
2. **The Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs, Thiruvananthapuram/Kozhikode/Audit, Kochi /Appeals, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**

3. **The Additional Director General, DRI Zonal Unit, Kochi/DGGI Zonal Unit, Kochi/NACIN, Kochi.**

Copy to:

1. **The Additional/ Joint Commissioners of Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive)/Appeals, Kochi Commissionerate**
2. **The Deputy/ Assistant Commissioners in charge of Divisions of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
3. **All DDOs of Kochi/ Thiruvananthapuram/ Kozhikode, Audit, Kochi/ Customs (Preventive) Commissionerate**
4. **All Section Heads in Headquarters Office, Kochi**
5. **All General Secretaries of Staff Associations of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone.**
6. **The Superintendent, Systems, Hqrs, Kochi (For uploading in website).**
7. **Notice Board, Hqrs. Office, Kochi.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
 वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
 राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
 केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
 CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
 आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER
 केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE
 कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail: cex15tech.ker@nic.in

Phone: 0484-2390404

File No.: GEXCOM/TECH/Insp/OTH/27/2022-TECH-O/o Pr COMM-R-CGST-KOCHI

व्यापार सूचना सं. 01/2026 दिनांक 14.01.2026
 Trade Notice No.01/2026 dated: 14.01.2026

विषय : लोक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति - संबंधित |
 Subject: Appointment of Public Grievance Officer-regarding.

व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग को सूचित किया जाता है कि श्री राजा टोमी, सहायक आयुक्त को करदाता सेवा केंद्र/जीएसटी सेवा केंद्र, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि आयुक्तालय से संबंधित "लोक शिकायत अधिकारी" नियुक्त किया गया है। अधिकारी का संपर्क विवरण निम्नलिखित है:

Trade, Commerce and Industry are hereby informed that **Shri Raja Tomy, Assistant Commissioner** has been appointed as the "Public Grievance Officer" related to the Taxpayer Service Centre/GST Seva Kendra/SEVOTTAM, Central Tax and Central Excise, Kochi Commissionerate. The Contact details of the Officer are as under:

ई-मेल /Email : cex15sev-ker@gov.in

दूरभाष सं./Telephone No.: 0484 2390404

2. इस व्यापार सूचना की विषय-वस्तु को व्यापार और उद्योग के सभी घटक सदस्यों के ध्यान में

लाया जाए।

2. The contents of this Trade Notice may be brought to the notice of all the constituent members of Trade and Industry.

संलग्न /Encl : यथोपरि/ As above.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 15-01-2026
17:35:20

फारा ज़खरिया /FARAH ZACHARIAH
संयुक्त आयुक्त / JOINT COMMISIONER

सेवा में /To

1. सभी संघों को - संलग्न सूची के अनुसार
To the Associations as per the List attached.

प्रति /Copy to:

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र, सूचना हेतु
The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise,
Thiruvananthapuram Zone, for kind information.

2. अधीक्षक, ईडीपी/सिस्टम्स, कोच्चि - व्यापार सूचना वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
Superintendent, EDP/Systems, Kochi for uploading the Trade Notice in
the Website.



भारतसरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्वविभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीयअप्रत्यक्षकरऔरसीमाशुल्कबोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER

केंद्रीयकरऔरकेंद्रीयउत्पादशुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चिआयुक्ततालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI – 682 018

E-mail: cex15tech.ker@nic.in

Phone: 0484-2390404

व्यापार सूचना सं. 02/2026 दिनांक 17.02.2026

Trade Notice No.02/2026 dated 17.02.2026

विषय : स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (HSNS Cess) – संबंधित।

Subject: The Health Security and National Security Cess (HSNS Cess) – regarding.

स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर अधिनियम, 2025 की के तहत उक्त अधिनियम की धारा I में विनिर्दिष्ट अधिसूचित वस्तुओं के संबंध में “स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर (HSNS Cess)” पर लगाए शुल्क की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो 1 फरवरी, 2026 से प्रस्तावित हो चुकी है।

Attention is invited to the levy of “**The Health Security and National Security Cess (HSNS Cess)**” under the Health Security and National Security Cess Act, 2025 in respect of notified goods specified in Schedule I of the said Act, introduced with effect from **1st February, 2026**.

इस संबंध में सी बी आई सी करदाताओं के पोर्टल में नए पंजीकरण हेतु लॉगिन करने एवं आवेदन भरने के विवरण सहित एच एस एन एस उपकर पर जारी परामर्श सं. 1/2026 दिनांकित 28.01.2026, एच एस एन एस उपकर के भुगतान हेतु लेखा शीर्ष पर जारी परामर्श सं. 2/2026 दिनांकित 29.01.2026 एवं एच एस एन एस घोषणा भरने की प्रक्रिया पर जारी परामर्श सं. 4/2026 दिनांकित 09.02.2026 को इसके साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न किया गया है।

In this regard, **Advisory No. 1/2026 dated 28.01.2026** issued on HSNS Cess detailing the login procedure and filing of application for new registration and payment in the CBIC Taxpayers' Portal, **Advisory No. 2/2026 dated 29.01.2026** issued on the Accounting Head for payment of HSNS Cess, and **Advisory No. 4/2026 dated 09.02.2026** issued on the HSNS Declaration Filing Procedure in the CBIC Taxpayers' Portal are enclosed herewith for information and necessary action.

इस व्यापार सूचना की विषय-वस्तु को व्यापार और उद्योग के सभी घटक सदस्यों के ध्यान में लाया जाए।

The contents of this Trade Notice may be brought to the notice of all the constituent members of Trade and Industry.

संलग्न / Encl : यथोपरि / As above.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 18-02-2026
फ़राह झाक़रिया FARAH ZACHARIAH
संयुक्त आयुक्त / JOINT COMMISSIONER

सेवा में /To

संलग्न सूची के अनुसार सभी संघ।

The Associations as per the list in Annexure I.

प्रति / Copy to:

1. सूचना हेतु मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र।
1. **The Chief Commissioner of Central Tax and Central Excise, Thiruvananthapuram Zone, for kind information.**
2. अधीक्षक, ईडीपी/ सिस्टम्स, कोच्चि - व्यापार सूचना वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
3. **Superintendent, EDP/Systems, Kochi for uploading the Trade Notice in the Website.**



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि - 682 018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI - 682 018

E-mail:- cgstprokochi@gmail.com

Phone:- 0484-2390404

फाइल संख्या/File No.: GEXCOM/HQR/MISC/10/2024-HQRS

तारीख/Date:- 19.01.2026

परिपत्र / CIRCULAR

विषय:- 77वें गणतंत्र दिवस समारोह - 2026 - संबंध में।

Subject:- 77th Republic Day Celebrations - 2026 - regarding.

निम्नलिखित अधिकारियों को 26 जनवरी, 2026 (सोमवार) को केंद्रीय राजस्व भवन में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में पूरी वर्दी में शामिल होने के लिए चुना गया है। उन्हें 21, 22 और 23 जनवरी 2026 को शाम 4:00 बजे केंद्रीय राजस्व भवन में होने वाले पूर्वाभ्यास में भी शामिल होना होगा। पूर्वाभ्यास के लिए वर्दी पहनना ज़रूरी नहीं है।

The following officers have been selected to participate in the Republic Day Parade on 26th January, 2026 (Monday), at the Central Revenue Building, in proper uniform. They are also directed to attend the rehearsals scheduled on the 21st, 22nd, and 23rd of January 2026, at 16:00 hours, at the C.R. Building. Turnout in uniform is not required for the rehearsals.

Sl.No.	Name of the Officer (Shri/Smt/S)	Designation	Place of posting
1	Akash Sharma	Inspector	Ernakulam Division
2	Anjana A.	Inspector	Hqrs. Kochi
3	Anurag Vishwakarma	Inspector	Hqrs. Kochi
4	Avi Gautham	Inspector	Audit Circle-4, Kochi
5	Devesh Kumar Singh	Inspector	Appeals Commissionerate
6	Dipika Chowdhury	Inspector	Audit Circle-5, Perumbavoor
7	Gajendra Kumar Meena	Inspector	Hqrs. Kochi
8	Gopika Krishnan	Inspector	Ernakulam Division
9	Nandkishor Prajapat	Inspector	Audit Circle-4, Kochi
10	Nirmal Jose	Inspector	Kakkanad Division
11	Omanshu Tripathi	Inspector	Hqrs. Kochi

12	Padmapriya M.M.	Inspector	Hqrs. Kochi
13	Rachana K.	Inspector	Ernakulam Division
14	Ranjan Kumar	Inspector	Audit Commisstionerate Hqrs.
15	Rishabh Chauhan	Inspector	CCO-CCA
16	Sahil Kumar Gupta	Inspector	Audit Circle-4, Kochi
17	Samya Shit	Inspector	Audit Circle-4, Kochi
18	Sanadh S.	Inspector	Kakkanad Division
19	Sandeep Kumar Yadav	Inspector	Ernakulam Division
20	Shahil	Inspector	Kakkanad Division
21	Shalinee Mishra	Inspector	Audit Circle-4, Kochi
22	Shekhar Yadav	Inspector	Ernakulam Division
23	Shraddha Barnwal	Inspector	Ernakulam Division
24	Vivek A. Nair	Inspector	Hqrs. Kochi
25	Anil Kumar A.V.	Havaldar	Hqrs. Kochi
26	Abin Sabu	Havaldar	Kakkanad Division
27	Ajay Alex	Havaldar	Hqrs. Kochi
28	Akash T.	Havaldar	Hqrs. Kochi
29	Alkesh Raj T.V.	Havaldar	Hqrs. Kochi
30	Ansari K.M.	Havaldar	Ernakulam Division
31	Gokul S.S.	Havaldar	Hqrs. Kochi
32	Harikrishnan S.	Havaldar	Hqrs. Kochi
33	Joshua Sunil Oommen	Havaldar	Hqrs. Kochi
34	Nevin B. Jacob	Havaldar	Hqrs. Kochi
35	Nilesh Ranjan	Havaldar	Ernakulam Division
36	Nirenjan S.	Havaldar	Hqrs. Kochi
37	Nitin Kumar	Havaldar	Hqrs. Kochi
38	Pushpendra Kumar Mishra	Havaldar	Hqrs. Kochi
39	Rama Krishna Mekala	Havaldar	CCO-CCA
40	Rapinder Singh	Havaldar	Hqrs. Kochi
41	Roopendra Singh	Havaldar	Ernakulam Division
42	Sabu C.	Havaldar	Hqrs. Kochi
43	Sajith C.S.	Havaldar	CCO-CCA
44	Satyaki Chatterjee	Havaldar	Audit Commisstionerate Hqrs.
45	Saurabh Shashank Tirkey	Havaldar	Appeals Commissionerate
46	Sourav T.P.	Havaldar	Hqrs. Kochi
47	Suresh Kumar K.R.	Havaldar	Kakkanad Division
48	Thadevous K.V.	Havaldar	Hqrs. Kochi
49	Vikash Singh	Havaldar	Audit Commisstionerate Hqrs.
50	Vineetha T.V.	Havaldar	CCO-CCA

पूर्वाभ्यास का समन्वय और निरीक्षण श्री रंजीत शांतकुमार, उप आयुक्त, तथा श्री के.एम. बिनू अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।

The rehearsals will be supervised by Shri Ranjit Santakumar, Deputy Commissioner, and Shri K.M. Binu, Superintendent.

सभी मंडल/अनुभाग प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों की

भागीदारी सुनिश्चित करें। इसका अनुपालन न करने पर गंभीरता से देखा जाएगा।

The Division/Section Heads should ensure the participation of the officers under their charge. Any failure in this regard will be viewed very seriously.

This issues with the approval of the Commissioner.

Digitally signed by
Farah Zachariah
Date: 19-01-2026
15:18:48 (Zachariah)
Joint Commissioner.

प्रति / To
संबंधित व्यक्तियों को / The Individuals

प्रतिलिपि प्रेषित / Copy to:-

1. प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,
तिरुवनंतपुरम ज़ोन, कोच्चि।
The Principal Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs,
Thiruvananthapuram Zone, Kochi.
2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (ऑडिट), कोच्चि।
The Commissioner of Central Tax and Central Excise (Audit), Kochi.
3. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), कोच्चि।
The Commissioner of Central Tax and Central Excise (Appeals), Kochi.
4. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि।
The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
5. अपर आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्य आयुक्त कार्यालय/ऑडिट
आयुक्तालय/अपील आयुक्तालय।
The Additional Commissioner of Central Tax and Central Excise,
Chief Commissioner's Office / Audit Commissionerate / Appeals Commissionerate.
6. संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि।
The Joint Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.
7. उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय कार्यालय, कोच्चि/
मुख्य आयुक्त कार्यालय/अपील आयुक्तालय/ऑडिट आयुक्तालय/एर्नाकुलम एवं
कक्कनाड मंडल/ऑडिट कोच्चि एवं पेरुम्बवूर सर्किल।

The Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax and Central Excise,
Headquarters Office, Kochi/Chief Commissioner's Office/Appeals
Commissionerate/
Audit Commissionerate/Ernakulam & Kakkannad Divisions/Audit Kochi &
Perumbavoor Circles.

8. सहायक निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि।
The Assistant Director (OL) of Central Tax and Central Excise, Kochi.
9. सीएओ / पीएओ / एओ (डीडीओ), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि।
CAO / PAO / AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Kochi.
10. अधीक्षक (जनसंपर्क अधिकारी) / केयरटेकर — आवश्यक कार्रवाई हेतु।
The Superintendent (PRO) / Caretaker for necessary action.
11. सूचना पट्ट / नियंत्रण कक्ष।
Notice Board / Control Room.



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

प्रधान आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क CENTRAL TAX AND CENTRAL EXCISE

कोच्चि आयुक्तालय KOCHI COMMISSIONERATE

सी.आर. बिल्डिंग, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि - 682 018 C.R. BUILDING, I.S. PRESS ROAD, KOCHI - 682 018

E-mail:- cgstprokochi@gmail.com

Phone:- 0484-2390404

फाइल संख्या/File No.:- GEXCOM/HQR/MISC/10/2024-HQRS

तारीख/Date:- 19.01.2026

परिपत्र / CIRCULAR

विषय:- 77वें गणतंत्र दिवस समारोह - 2026 - संबंध में।

Subject:- 77th Republic Day Celebrations - 2026 - regarding.

77वें गणतंत्र दिवस दिनांक 26 जनवरी (सोमवार) को केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग तथा आयकर विभाग द्वारा संयुक्त रूप से केंद्रीय राजस्व भवन, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि में मनाया जाएगा।

The 77th Republic Day will be jointly celebrated by the Central Tax & Central Excise Department and the Income Tax Department on 26th January 2026 (Monday), at the Central Revenue Building, I.S. Press Road, Kochi.

डॉ. टी. टिजु, आई.आर.एस., आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (लेखा परीक्षा), कोच्चि, प्रातः 09:15 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे।

Dr. T. Tiju, I.R.S., Commissioner of Central Tax and Central Excise (Audit), Kochi, will unfurl the National Flag at 0900 hours.

केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क मुख्यालय, कोच्चि; मुख्य आयुक्त कार्यालय; लेखा परीक्षा आयुक्तालय मुख्यालय; अपील आयुक्तालय; केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, एर्णाकुलम एवं

काक्कनाड मंडल; तथा लेखा परीक्षा कोच्चि एवं पेरुम्बावूर सर्किल में पदस्थापित सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अनिवार्य रूप से कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।

All officers and staff members posted at the Central Tax & Central Excise Headquarters Office, Kochi, Chief Commissioner's Office, Audit Commissionerate

Headquarters, Appeals Commissionerate, Central Tax & Central Excise, Ernakulam and Kakkanad Divisions, and Kochi and Perumbavoor Audit Circle, shall be present on the occasion without fail.

सभी वर्दीधारी अधिकारी प्रातः 07:30 बजे पूर्ण एवं निर्धारित वर्दी में रिपोर्ट करेंगे।

All uniformed officers shall report in proper uniform at 07:30 hours.

गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व श्री प्रमोद कुमार सविता, अधीक्षक, सीमा शुल्क (निवारक)

आयुक्तालय, कोच्चि द्वारा किया जाएगा।

The Republic Day Parade will be led by Shri Pramod Kumar Savita, Superintendent, Commissionerate of Customs (Preventive), Kochi.

This issues with the approval of the Commissioner.

Digitally signed by
Farah Zachariah
(Farah Zachariah)
Date: 19-01-2026
Joint Commissioner.
15:21:10

प्रतिलिपि / Copy to :-

1. प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम ज़ोन, कोच्चि।
The Principal Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvananthapuram Zone, Kochi.
2. प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर, केरल, कोच्चि।
The Principal Chief Commissioner of Income Tax, Kerala, Kochi.
3. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (ऑडिट), कोच्चि।
The Commissioner of Central Tax and Central Excise (Audit), Kochi.
4. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), कोच्चि।
The Commissioner of Central Tax and Central Excise (Appeals), Kochi.
5. आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), कोच्चि।
The Commissioner of Customs (Preventive), Kochi.
6. अपर आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्य आयुक्त कार्यालय/ऑडिट आयुक्तालय/अपील आयुक्तालय।
The Additional Commissioner of Central Tax and Central Excise, Chief Commissioner's Office / Audit Commissionerate / Appeals Commissionerate.

7. **संयुक्त आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि।**
The Joint Commissioner of Central Tax and Central Excise, Kochi.
8. **उप/सहायक आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुख्यालय कार्यालय, कोच्चि/ मुख्य आयुक्त कार्यालय/अपील आयुक्तालय/ऑडिट आयुक्तालय/एर्नाकुलम एवं कक्कनाड मंडल/ऑडिट कोच्चि एवं पेरुम्बवूर सर्किल।**
The Deputy/Assistant Commissioners of Central Tax and Central Excise, Headquarters Office, Kochi/Chief Commissioner's Office/Appeals Commissionerate/Audit Commissionerate/Ernakulam & Kakkannad Divisions/Audit Kochi & Perumbavoor Circles.
9. **सहायक निदेशक (राजभाषा), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि।**
The Assistant Director (OL) of Central Tax and Central Excise, Kochi.
10. **सीएओ / पीएओ / एओ (डीडीओ), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि।**
CAO / PAO / AO (DDO), Central Tax and Central Excise, Kochi.
11. **अधीक्षक (जनसंपर्क अधिकारी) / केयरटेकर — आवश्यक कार्रवाई हेतु।**
The Superintendent (PRO) / Caretaker for necessary action.
12. **आयकर अधिकारी (जनसंपर्क अधिकारी), आयकर विभाग, कोच्चि।**
The Income Tax Officer (PRO), Income Tax, Kochi.
13. **सहायक अभियंता (विद्युत), कोच्चि सेंट्रल इलेक्ट्रिकल उप-मंडल-II, सीपीडब्ल्यूडी, केंद्रीय राजस्व भवन, आई.एस. प्रेस रोड, कोच्चि - 682 018**
— विद्युत बैक-अप की व्यवस्था हेतु अनुरोध सहित।
The Assistant Engineer (E), Kochi Central Electrical Sub Division-II, CPWD, C.R. Building, I.S. Press Road, Kochi - 682 018, with a request for power backup.
14. **सूचना पट्ट / नियंत्रण कक्ष।**
Notice Board / Control Room.